



MAHECHA
P U B L I C A T I O N

Springboard ACADEMY

पर्यावरण एवं
पारिस्थितिकी

RAS FOUNDATION



CLASS NOTES

Available @JAIPUR JODHPUR
www.thenoteshub.com

The Notes Hub

Index

1. जैव विविधता 1
2. राष्ट्रीय उद्यान 35
3. पर्यावरण 82
4. वायु प्रदूषण 89
5. जल प्रदूषण 106
6. जलवायु परिवर्तन 122
7. मरुस्थलीकरण 179
8. निर्वनीकरण 187

जैव विविधता

परिभाषा (1)

"जैव-विविधता पृथकी के समस्त जीवों जैसे स्थलीय भाग, क्षमुद्री तथा अन्य जलीय परितनों के जीवों के मध्य मिलने वाली विविधता है।"

परिभाषा (2)

"जैव-विविधता एक प्रजाति के अंदर पायी जाने वाली विविधता, विभिन्न प्रजातियों के मध्य विविधता तथा पारिस्थितिकीय विविधताओं का सम्मिलित रूप है।"

परिभाषा (3)


"पृथकी पर पायी जाने वाले सभी जीवों में मिलने वाली विविधता, विभिन्नता तथा पारिस्थितिकीय जटिलता, जैव विविधता कहलाती है।"

परिभाषा (4)

"जैव-विविधता एक गतिशील अवधारणा है जो आनुवांशिक घटकों के बढ़ने के साथ बढ़ती है तथा घटने के साथ घटती है।"

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

- जैविक विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग "ऐमोड एफ डेसमैन" ने 1968 में किया था।
- "वाल्टर जी रोजन" ने जैव-विविधता शब्द का प्रयोग 1970 में किया था।
- अंकल्पनात्मक रूप से इस शब्द का प्रयोग प्रथम बार प्रसिद्ध कीट वैज्ञानिक E.O. विल्सन ने 1986 में किया था।
- तभी से यह शब्द एक अंकल्पना के रूप में जैव-वैज्ञानिकों पर्यावरणाविदों, राजनीतिज्ञों आदि के द्वारा विस्तृत रूप से अपनाया गया।



1. आनुवांशिकी स्तर

- इसका संबंध किसी विशेष प्रजाति में मिलने वाले जीवों की विभिन्नता से लिया जाता है।
- आनुवांशिक विविधता की बजाए से प्रजातियों में बदलते वातावरण के अनुकूल ढलने की क्षमता होती है।
- सभी जीवों की पहचान आनुवांशिक रॉस्यना के आधार पर होती है तथा यही आनुवांशिक रॉस्यना जीवों को विशिष्टता प्रदान करती है।
- एक ही प्रजाति के जीवों में आनुवांशिक स्तर की विविधता होती है, अतः इस स्तर पर मिलने वाली विविधता को इस क्रीड़ी में रखा जाता है।
जैसे - • मनुष्य की विभिन्न नस्लों में मिलने वाली विविधता।
• गौहुं, घावल की विभिन्न किसीमों में मिलने वाली विविधता।




२. प्रजाति सत्र

- जैव विविधता को व्यक्त करने वाला यह व्यापक सत्र है। यह पृथ्वी पर रहने वाले जीवों की विविधता को दर्शाता है, प्रजातियों एक-दूसरे से भिन्न होती है। उनके आनुवांशिक संगठन में स्पष्ट स्वप से भिन्नता होती है और ये प्रकृति में अंतर-प्रजनन नहीं करती है।
- विभिन्न प्रजातियों के मध्य मिलने वाली विविधता जो इस क्षेत्र में रखा जाता है।

जैव


- स्तनधारियों की विभिन्न प्रजातियों के मध्य पायी जाने वाली विविधता।
- विभिन्न उभयचर प्रजातियों में मिलने वाली विविधता।



3. पारिस्थितिकी स्तर


- यह विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक आवासों को दर्शाता है। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक आवास हैं जैसे- धास के मैदान, रेगिस्तान, उलग कटिकंधीय वर्षावन, झीरल, आदि भूमियाँ आदि। पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं।

- जैसे पर्यावरण बदलता है; उस वातावरण के अनुकूल रहने वाली प्रजातियों उस रुद्धान की प्रमुख प्रजातियाँ बन जाती हैं। इस प्रकार पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विभिन्नता या विविधता उस भू-आग की प्रकृति से प्रभावित होती है।
- विभिन्न भौगोलिक होनों में रहने वाले जीवों के मह्य पाठी जाने वाली विविधता, इस श्रेणी की विविधता है।
- उदाहरण - मरुस्थल तथा धास भूमि के होने में पाठी जाने वाली पादप प्रजातियों के मह्य विविधता।



जैव विविधता का मापन

- जैव विविधता के मापन से तात्पर्य है किसी स्थान विशेष पर पायी जाने वाली प्रजातियों की संख्या तथा उनकी समृद्धि के आंकड़न से है।
- इस मापन के तहत द्वेष्ट विशेष में प्रजातियों की संख्या तथा उन से सम्बंधित आंकड़े को संकलित किया जाता है।



जैव विविधता मापन तीन प्रकार से किया जाता है।
A, B, C शब्द R.H. टटीतकर द्वारा दिये गये हैं।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

१. अल्फा जैव विविधता-

- किसी निश्चित पारिस्थितिकी तंत्र या भौगोलिक क्षेत्र में गिरने वाली जीवों की प्रजातियों की कुल संख्या उस क्षेत्र की α-जैव विविधता कहलाती है।
- इस विधि में जैव विविधता का मापन बहुत छोटे स्तर पर किया जाता है।
- यह विशिष्ट क्षेत्रों की जैव विविधता के तुलनात्मक अध्ययन से सहायता है।

उदाहरण

वन पारितंत्र में प्रजातियों की कुल संख्या 105 है तो वहाँ की α-जैव विविधता 105 होगी।



२. बीटा जैव विविधता-

- यह विशिष्ट पारितंत्रों के बीच तुलना से सहायता है।
- दो पास-पास स्थित पारितंत्रों के मध्य जुड़ओं के प्रवासन को, इसके अंतर्गत मापा जाता है।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

- इसके द्वारा होतीय तथा स्थानीय प्रजातियों की विविधता का अनुपात जिकाला जाता है।

होतीय प्रजातियों की विविधता

स्थानीय प्रजातियों की विविधता



- यह ग्रामा जैव विविधता तथा अ जैव विविधता का अनुपात है।

3. ग्रामा जैव विविधता

- यह विशाल भूभाग के अन्तर्विभिन्न पारितंत्रों के लिए समग्र जैव विविधता का एक मापन है।
- बहुत भौगोलिक होता या वैशिक स्तर पर मिलते वाली प्रजातियों की कुल संख्या, ग्रामा जैव विविधता कहलाती है।
- बहुत भौगोलिक होता में अनेक पारितंत्र या समुदाय हो सकते हैं।
- जैव विविधता मापन का यह सबसे बड़ा पैमाना है।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

- शामा जैव विविधता = $[S_1 + S_2 + S_3 + S_4] - C$

S = No. of species

C = No. of common species



जैव विविधता का प्रारूप

- पृथकी पर जैव विविधता का वितरण असमान है।
- भूमध्य रेखा से द्युवों की ओर बढ़ने पर जैव विविधता घटती है।
- मैदानी भाग से ऊँचाई की ओर बढ़ने पर जैव विविधता घटती है।
- कुछ लद तक किसी औंगोलिक हेतु की प्रजातियाँ समृद्धि अन्वेषण हेतु की सीमा बढ़ने के साथ घटती हैं।
- विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता अमेजन के वनों में मिलती है जिसे विश्व के फैफड़े कहते हैं।
- 300 करिबंधीय वर्षविन, प्रवाल श्रितियाँ, नम शूमि हेतु तथा शीतोष्ण वनों की जैव विविधता अधिक।

होती हैं जबकि मरुस्थल, उपधूवीय हेत्र तथा धूवीय हेत्रों की जैव-विविधता कम होती है।

जीवों में जैव-विविधता का क्रम

(i) कशोरकी जीवों में जैव-विविधता का क्रम


मध्यली वर्ग > पक्षी वर्ग > सरीसृप > उभयन्तर > सतनाधारी

(ii) अकशोरकी जीवों में जैव-विविधता का क्रम

कीट वर्ग > मीलस्का > अन्य

(iii) पादपों में जैव-विविधता का क्रम

कवक	>	एंजियोस्पर्म (आवृत्तबीजी)	>	शैवाल
Fungi		Angiosperms		Algae



(iv) पृथकी पर सभी जीवों की जैव-विविधता

कीट वर्ग > पादप वर्ग > मध्यली वर्ग


भारत में जैव विविधता

- भारत जैव विविधता की दुम्हाली से सम्पन्न राष्ट्र है।
- विश्व के कुल भू भाग का केवल 2.4% भाग भारत के पास है; जबकि विश्व की कुल प्रजातियों की 8.1% प्रजातियाँ भारत में मिलती हैं।
- भारत में लगभग 45000 पादप प्रजातियाँ तथा 90000 जंतु प्रजातियाँ ज्ञात हैं।
- लगभग 1 लाख पादप प्रजातियाँ तथा 3 लाख जंतु प्रजातियाँ अज्ञात हैं।
- भारत विश्व के 17 Mega diverse देशों में से एक है।



पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

1. ब्राजील (S.A.) - South America
2. कोलंबिया (S.A.)
3. मैक्सिको (N.A.)
4. इंडोनेशिया (Asia)
5. पेरू (S.A.)
6. मलेशिया (Asia)
7. हक्कान्डौर (S.A.)
8. भारत (Asia)
9. जायरे (Africa)
10. मैडागास्कर (East Africa)
11. चीन (East Asia)
12. ऑस्ट्रेलिया (Oceania)
13. थूनाइटेंड स्टेट (USA) - North America
14. वेनेजुएला (S.A.)
15. दक्षिण अफ्रीका (S.Africa)
16. फ़िलीपिन्स (Asia)



पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

उठा कटिकंघीय वर्ष बनो की अधिक जैव विविधता के कारण

(A) समय


- अबाधित वातावरणीय परिस्थितियों के कारण अहाँ जैव विविधता के विकास के लिये लम्बी अवधि पायी जाती है, अतः उठा कटिकंघीय होतों में जैव विविधता के विकास के लिये अधिक समय उपलब्ध हुआ है।

(B) जलवायु

- स्थिर तथा अनुमानित वातावरण जिसमें मौसमी विविधताएँ न्यूनतम पायी जाती हैं - इन होतों की जलवायु जैसे- तापमान, वर्षा, आंतरिक एवं सूर्यों की शुगवता जीवों की प्रजातियों के अनुकूल हैं।

(C) प्रकाश

- इस होते में वर्ष भर प्रकाश की उपलब्धता अधिक होती है। अतः पादपों के लिए प्रकाश सश्लेषण अवधि अधिक होती है।




पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

जैव विविधता का महत्व

- पारितंत्र के संतुलन एवं स्थायित्व में जैव विविधता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिस ब्लैक में प्रजातियों की संख्या जितनी अधिक होती है वह ब्लैक उतना ही स्थायी होता है।

- मानव अपने आदार से लैकर औषधियों तक सभी आवश्यकताओं के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होता है इस कारण जैव विविधता अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
- आर्थिक, सामाजिक, व्यवसायिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में जैव विविधता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
- पॉल एहरलिक ने "रिवेट पौपर परिवर्तना" प्रस्तावित की जिसमें बताया गया कि एक वायुयान के हजारों मांगों को एक (रिवेट) छारा खोड़ा जाता है। यदि वायुयान का प्रत्येक शान्ति अपने साथ एक रिवेट (एक) को ले जाने लगे तब आरम्भ में जहाज की झुरहां प्रभावित नहीं होगी लेकिन और अधिक रिवेट लेता लिये जाये तब कुछ समय पश्चात् जहाज खतरनाक रूप से कमज़ीर



पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

छोड़ जायेगा, साथ ही साथ अहं भी महत्वपूर्ण है कि
कौनसा रिवेट हटाया गया है।

Eg. → Key stone species

जैव विविधता की सेवाएँ

1. पारिस्थितिकी / नियामन सेवाएँ

- यह ऐसी सेवाएँ हैं जो पर्यावरण में बदलाव को नियंत्रित करती है एवं पर्यावरण को जीवन के अनुकूल बनाये रखती है इसमें शामिल है -

- जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना। (O₂ - C₀₂ - घटक)
- जल स्रोतों का संरक्षण (जल - घटक)
- पौष्टक तत्वों का भैड़ारण एवं -घटकाना।
- मृदा नियन्त्रण एवं संरक्षण
- प्रदूषण को नियंत्रित करना, इत्यादि।



2. उत्पादन सेवाएँ / वायोलॉजिकल सेवाएँ

- जैव विविधता के हारा मनुष्य को कई प्रकार की उत्पादन सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। जैसे - श्वस्त्र जल, औजन एवं -धार्य, चिकित्सकीय पौधों तथा जड़ी बूटियाँ

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

तथा औषधियाँ, लकड़ी उत्पाद एवं भविष्य के संसाधनों
के रूपों।

3. सामाजिक एवं सांस्कृतिक सेवाएँ

- अनुसंधान, शिक्षा

कार्य, मनोरंजन, पर्यटन, आद्यात्मिक तथा
सांस्कृतिक गतिविधियों में जैव विविधता महत्वपूर्ण
भूमिका निभाती है।



जैव विविधता की क्षति के कारण

(१) प्राकृतिक आवासों का विखण्डन एवं नष्ट होना।

(२) अत्यधिक दौड़ना।

(३) अत्यधिक आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ।

(४) सह विलुप्तता।

जैव विविधता की 4 प्रमुख क्षति हैं।

जिन्हें जैव विविधता के बारे दावत कहते
हैं।


पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

(१) प्राकृतिक आवासों का विखण्डन एवं नष्ट होना

- प्राकृतिक आवास जीवों को रहने के लिए स्थान भीजन तथा सुरक्षित प्रजनन की सुविधा प्रदान करते हैं।
- प्राकृतिक आवासों के नष्ट होने से जैव विविधता की सर्वाधिक घटरा है।
- मनुष्य अपना कृषि फैलाने, खनन गतिविधियाँ करने, विकास परियोजनाएँ बनाने के दौरान अत्यधिक बनों की कटाई करता है। तथा प्राकृतिक आवासों को नष्ट करता है।


(२) अत्यधिक दीहन

- वन्य जीवों का शिकार, औषधि सांस, सींग, त्वचा इत्यादि के लिए किया जाता है।
- अत्यधिक शिकार करने से अनेक वन्य प्रजातियाँ पिछुप्त होने की कगार पर हैं।
- मानव हारा अति दीहन से पिछले 500 वर्षों में कुछ सी प्रजातियाँ पिछुप्त हुई हैं।



पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

- जैसे - १. डोडो पक्षी - मॉरिशस
२. पैसेंजर पिजन - USA
३. गोल्डन टौड (मैड्ल) - कोस्टारिका
४. कैरे बिधन मोक भील - वेस्टइंडीज
५. कवाणा (पढ़ी) - अफ्रीका
६. रत्नीलर शमुद्री गाय - क्लस
७. आइलैबियन - ऑस्ट्रेलिया
Tiger
तस्मानियम टाइगर



३. अत्यधिक आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ


- जब बाहरी

प्रजातियाँ अनजाने में या जानबुद्धिमर्ग किसी भी उद्देश्य से एक होत्र से दूसरे होते में ले आयी जाती हैं तो उनमें से कुछ आक्रामक होते अत्यानीय प्रजातियाँ में कमी या अकी विलुप्ति का कारण बन जाती हैं।

- जैसे - १. नाहल पर्च (एक सकार की मध्यांती) जो नील नदी में पाई जाती है।
२. अफ्रीकन कैट फिश (अफ्रीका महाद्वीप)
३. पार्चनियम / गाजर धास / कॉर्डीस धास (अमेरिका प्रजाति)

4. लैटाना के मारा (झारखण्डी मूलतः अमेरिका)

5. आईकॉनिया (जलकुंभी) - देंगाल का आतंक
(दक्षिणी अमेरिकी प्रजाति)



④ सह विलुप्तता

- पारितंत्र में सभी प्रजातियाँ
एक-दूसरे के अपर निर्भर होती हैं। यदि इनमें से
कुछ प्रजातियाँ विलुप्त होती हैं। तो उन पर
निर्भर प्रजातियाँ भी विलुप्त हो जायेगी।

उदाहरण -

मध्यलियों की प्रजातियाँ विलुप्त होने
पर उन पर निर्भर परजीवियों का
विलुप्त होना।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

प्रजातियों का विलोपन

(1) नैसर्गिक / प्राकृतिक विलोपन

- पर्यावरणीय दशाओं

में होने वाले परिवर्तन (तापमान, PH, बर्फ इत्यादि)

(2) समृद्धि विलोपन

- प्राकृतिक विषदाओं के कारण होने

वाला विलोपन (बाढ़, भूकंप, महामारी)

(3) मानव जनित विलोपन

- मानवीय क्रियाओं के कारण

होने वाला विलोपन (अत्यधिक विकार)


विलोपन के प्रति सुवधाही प्रजातियों के लक्षण

1. विशालकाय क्षरीर
2. कम प्रजनन दर
3. होला जनसंख्या आकार
4. खाद्य शूल्कों में व्यापक उपचौक्ता होना
5. स्थ्रीर प्रवासन पथ
6. आवास एवं वितरण की स्थानविद्व एवं संकीर्ण परिसर।



जैव विविधता का संरहाणा

- जैव विविधता महत्व जीवन सह अस्तित्व स्वं पारिस्थितिकी संतुलन के लिए आवश्यक है।
- जैव विविधता के महत्व को देखते हुए हमारी यह जिम्मेदारी है कि उसको संरहाणा प्रदान किया जाए।



पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

जैव विविधता के संरक्षण के लिये वैश्विक स्तर पर दो प्रणालियाँ अपनाई जाती हैं।



(1) स्व-स्थानी संरक्षण

- इस प्रणाली के तहत जैतु एवं पादप प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवासों में संरक्षण प्रदान किया जाता है।
- इस प्रणाली में उस पूरे बैत्र के पारितंत्र को संरक्षण प्रदान किया जाता है।

उदा.- जैव विविधता के तप्तखल, बायोसिफर, रिजर्व, रान्डीय उदान तथा वन्य जीव अभ्यारण्य।

(2) पर-स्थानी संरक्षण

- इस प्रणाली के तहत संकटभर्षण जैतु एवं पादप प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवासों से अलग किसी शुरूद्वित स्थान पर संरक्षण प्रदान किया जाता है।
- कुछ संकटभर्षण प्रजातियों को यदि उनके प्राकृतिक आवासों में छीड़ दिया जाये तो वो कुछ समय बाद विलृप्त हो सकती है। अतः उनके संरक्षण के लिये उन्हें अन्य शुरूद्वित स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है।

जैव विविधता के तपतस्थल (Hotspot)


- वे भौगोलिक क्षेत्र जहाँ जैव विविधता आधिक होने के साथ-साथ स्थानीय, दुर्लभ तथा संकटापन्न प्रजातियाँ का अनुपात आधिक होता है।
- वर्तमान में मानव जनित तथा प्राकृतिक कारणों से यहाँ मिलने वाली प्रजातियाँ संकटभर्य हो रही हैं।
- Hotspot का दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न-निश्चित शर्तें का होना आवश्यक है-

(1) स्थानिकता

- उस भू भाग में कम से कम 0.52% या 1500 स्थानीय संवर्द्धनीय पादपों की प्रजातियाँ हों। (विश्व के कुल संवर्द्धनीय पादपों का 0.52%) तथा जैव विविधता उच्च होनी चाहिये।

(2) उन क्षेत्रों का 70% प्राकृतिक आवास नष्ट हो चुका हो।


उपर्युक्त शर्तें को पूरा करने वाले स्थानों को जैव विविधता के तपतस्थल कहते हैं।



पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

थह अवधारणा ब्रिटिश पारिस्थितिक विद् "बौरमन मेयर" ने 1988 में प्रस्तुत की।

- वर्तमान में विश्व में कुल 36 तप्तस्थल होते हैं। जिनका विस्तार विश्व के २-३% होतफल पर है। यहां पर विश्व की लगभग 60% प्रजातियाँ पायी जाती हैं।
- विश्व के कुल 36 तप्तस्थल होतों में से ५ भारत में स्थित हैं, जिनका विस्तार पड़ोसी देशों में भी है।
- विश्व के Hotspot के अंतर्गत विद्यमान वैश्विक जैव विविधता का 16.86% जैव विविधता भारत में है।



(1) हिमालय (44.4%)

(2) पश्चिमी घाट एवं
श्री लंका (64.9%)

(3) हण्डी वर्म होता (5%)

(4) सुडालै०ड होता (1.26%)

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

(1) हिमालय छोता

- इसका विस्तार भारत के उत्तर-पूर्वी भाग के साथ-साथ नेपाल, भूटान आदि के छोतों तक है।
- इस Hotspot का 44.4% शूभाग भारत में स्थित है।
- यहाँ पर हिमालयन ताहर (ब्रैड की प्रजाति), -गंगा-डॉलफिन, हिम तेंदुआ, एक सींग वाला गैंडा, नामदफा उड़न गिलाहरी, पिठमीहोंग, चुनहरा लँगूर तथा नीली ब्रैड इत्यादि प्रजातियाँ पायी जाती हैं।

(2) पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका

- पश्चिमी घाट को सह्याद्रि भी कहते हैं।
- इसका विस्तार भारत के दक्षिणी - पश्चिम छोता तथा श्रीलंका तक है।
- इसका 64.9% शूभाग भारत में स्थित है।
- यह भारत का सर्वाधिक समृद्ध जैव विविधता वाला छोता है।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

- यहाँ पर लॉयन टेल्ड मर्कोक , नील गिरी लाहूर छानबिल पहाड़ी , उभयचर प्रजातियाँ पायी जाती हैं।

(3) हृषीकेश

- यह भारत के उत्तर-पूर्वी हिस्से पर्वी बांग्लादेश, म्यांमार तथा मलेशिया तक कही दैशी में फैला हुआ है।

- लगभग 5% भू-भाग भारत में स्थित है।

- यहाँ कपि की कई प्रजातियाँ मिलती हैं जैसे- बंदर, लंगूर, गिरिजन आदि।

- यहाँ "ताजे पानी के कछुए", Orange-necked Parroties (नारंगी गले वाला दलिया पहाड़ी), टहाइट हथड़ नाइट ट्रेरोन (सफेद कान वाला रात का बगुला), ग्रे क्राउड क्रोसिअस etc

(4) सुरोडालैंड हिस्से

- इसका विस्तार भारत के घेरे निकोबार, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर बूनीझ तथा फिलिपिंस तक है।




- इसका १.२४% भू भाग भारत में स्थित है।
- अहाँ पर कोरल रीफ, इशुगांग, कद्घुआ, मगरमच्छ, ट्रैल एवं झींगा की प्रजातियों प्रमुखता से पार्श्वी जाती है।

होटेस्ट हॉट स्पॉट हेत्ते

- इसमें विश्व के ऐसे Hotspot हेत्ते हैं जहाँ स्थानिक प्रजातियों की प्रचुरता पार्श्वी जाती है। होटेस्ट हॉट स्पॉट हेत्ते कहलाते हैं।

- इनकी संख्या ८ है।

- (१) पश्चिमी घाट एवं अलिंका
- (२) इण्डो-बर्मा हेत्ते
- (३) भुॱडालौॱड
- (४) फिलीपिंस
- (५) मैडागास्कर
- (६) तंजानिया / केन्या के तटीय बन एवं ध्रुवी आकृ हेत्ते
- (७) क्राजील एवं अटलांटिक हेत्ते
- (८) केरैबियन हेत्ते।



पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

जैव आरक्षित क्षेत्र (Biosphere Reserve)

- १९७१ ई. मे.

UNESCO द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक कार्यक्रम के स्वरूप में मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम [MAB] आरम्भ किया गया था।

- इसका उद्देश्य मानव एवं पर्यावरण के मध्य सम्बन्धों में सुधार हेतु एक वैज्ञानिक आधार उपलब्ध कराना है।

जैव आरक्षित क्षेत्र के कार्य एवं उद्देश्य

- जैव आरक्षित क्षेत्र के कार्य तथा प्रमुख उद्देश्यों को UNESCO तथा UNEP द्वारा गठित Task force द्वारा तीन प्रमुख बर्गों में विभाजित किया गया है।

१. संरक्षण।

- जैव आरक्षित क्षेत्र के तहत स्थलीय भाग, प्रजातियों एवं आनुवांशिक विविधता को संरक्षित किया जाता है।

- इसके तहत प्राकृतिक एवं मानवीय जलविधियों के कारण होने वाले परिवर्तन की निगरानी रखी जाती है।




२. शिक्षा एवं अनुसंधान

- जैव आरण्हित होत्र का प्रमुख कार्य अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान एवं अध्ययन के लिये शोध केन्द्रों की रचना करना, विभिन्न केन्द्रों के मध्य सूचनाओं का आदान-प्रदान करना, विभिन्न कार्यक्रमों को मॉनिटर करना तथा संरक्षण संबंधि प्रशिक्षण प्रदान करना है।

३. विकास


- जैव आरण्हित होत्र सतत् पर्यावरण एवं सतत् विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये पर्यावरण संरक्षण, भूमि संरक्षण तथा विकास कार्यक्रमों के मध्य संतुलन रचापित करते हैं।



जैव आरक्षित क्षेत्र की संस्थना

(1) कोर क्षेत्र

- यह जैव आरक्षित क्षेत्र का सबसे अधिक भाग है।
- इसमें किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियों की अनुमति नहीं होती सिवाय पर्यावरणीय दंशाओं के पर्यावरण एवं नियमित मॉनीटरिंग के।
- इसमें सरकारी अधिकारियों/ कर्मचारियों (वन विभाग) के सिवाय अन्य सभी का प्रवेश बर्जित होता है।




(2) मध्यवर्ती क्षेत्र (वफ़र जौन)



- यह कोर भाग के बाहर वाला क्षेत्र है।
- यहां पर कुछ मानवीय गतिविधियाँ जैसे शिक्षा, अनुसंधान तथा पर्यटन आदि की अनुमति होती हैं।

3. ट्रैन्शन जोन (Transition Zone)

- यह जैव आरण्डित हेतु का सबसे बाहरी भाग है।
- इस भाग की सीमा निश्चित नहीं होती है।
- इस भाग का मुख्य कार्य विकास कार्यों तथा औजनाओं से सम्बंधित होता है।
- यहाँ पर स्थानीय समुदाय को सूखी लकड़ी रक्षित करना, फल-फूल रक्षित करना नियंत्रित पशुचारण नियंत्रित खनन आदि की अनुमति दी जाती है, जिससे स्थानीय समुदाय जैव विविधता संरक्षण में मदद कर सके।




पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी



ट्रूनेस्को के वैश्विक नेटवर्क में शामिल भारतीय ज़ेव
आरक्षित होते :-

- (1.) नीलगिरी 1986, 2000 – (केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु)
- (2) मन्नार की खाड़ी 2001 – (तमिलनाडु)
- (3) सुन्दरवन 2001 – (पश्चिम बंगाल)
- (4) नंदा देवी 2004 – (उत्तराखण्ड)
- (5.) नीकरेक 2009 – (मैघालय)
- (6.) पंचमढ़ी 2009 – (मध्यप्रदेश)
- (7.) सिमलीपाल 2009 – (ओडिशा)
- (8) अचानकमार 2012 – (MP, CH)
- (9) ऐट निकोबार 2013 – (अठडमान निकोबार)
- (10.) अगस्त्यामलाई 2010 – (केरल, तमिलनाडु)
- (11.) कंचनजंघा 2018 – (सिक्किम)
- (12.) पन्ना 2011, 2020 – (मध्यप्रदेश)




जैव आरक्षित ह्योत्र जो यूनेस्को सूची में शामिल नहीं हैं-

- (1) कोल्ड डेजर्ट (हिमालय प्रदेश)
- (2) दिहांग दिबांग (अस्सीचल प्रदेश)
- (3) डिल्लू सिखोवा (असम)
- (4) मानस (असम)
- (5) शौषान्धेलम (आन्ध्रप्रदेश)
- (6) कट्टा का रन (गुजरात)


राष्ट्रीय उद्यान (National Park)

- किसी भी होते के जंतु एवं पादप प्रजातियों के साथ - साथ पूरे पारिस्थितिकी तंत्र (प्राकृतिक आवास) को संरक्षण प्रदान करने देते राज्य सरकार वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1952 के तहत राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है।
- किसी वन्य जीव को राष्ट्रीय उद्यान या अन्यायालय घोषित करने के लिये वन्य जीव बोर्ड (अध्यक्ष - P.M.) की पूर्वनुमति आवश्यक होती है।
- इसमें शिक्षा, अनुसंधान तथा पर्यटन को छोड़कर मानवीय गतिविधियों की अनुमति नहीं होती है।
- भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान "जिम कॉर्कट" (उत्तराखण्ड) 1936 में घोषित किया गया था।
- वर्तमान में 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं।





पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

- ट्रैमिस हाई - (लदूदाख - भारत का सबसे बड़ा शब्दीय उद्यान)



- जिम कार्फट - 1936 में लेली नेशनल पार्क के रूप में
(भारत का पहला शब्दीय उद्यान)



- काजीरंगा (एक सींग वाला गोड़ा)
- मानस (जंगली औरंस)
- देहिंग पट्टनाथ

- वाल्मीकी — विहार

- दुधवा → उत्तर प्रदेश

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

- केवला देव (धना) ←
राधाकृष्णन → राजस्थान
मुकन्दरा हिल्स ←
- गिर → गुजरात
- केद्युल लामजाओ → मणिपुर
(विश्व का एकमात्र तैरता हुआ National Park)
- अन्नामुदी शोला ←
पेरियार → केरल
साइलेंट वैली ←
- बामदफा → असामान्यता प्रदेश
- कंचनजंघा → सिक्किम
- केतला → झारखण्ड
- इंद्रावती → छत्तीसगढ़
- रसिमलीपाल ←
भीतरकणिका ← → उडीसा
- पानीकोड़ा → आन्ध्रप्रदेश



पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी


- मन्नार मरीन
मुदु मलाई → तमिलनाडु
- नागरहोल (राजीव गांधी) → कर्नाटक
वांडीपुर
- महावीर → गोवा
- संजय गांधी → मठाराठे
चेंच
- कोनौटा
माधव
कांधवगढ़
पन्ना
सतपुड़ा
वन - विहार
इंदिरा प्रियदर्शनी चेंच
सञ्जय (गुरु धार्मीदास)
(MP, CH)
मंडला एलाट फॉसिल



मध्य प्रदेश

वन्य जीव अभयारण्य (Wild Life Sanctuary)

- किसी एक या कुछ विशेष वन्य प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए शाज्य सरकारी द्वारा वन्य जीव अभयारण्य घोषित किये जाते हैं।
- धड़ों पर मानवीय गतिविधियों जैसे - सूखी लकड़ी, फल एकत्रित करना, नियंत्रित परिवहन, तथा नियंत्रित पशुचराई की अनुमति होती है, लेकिन वन्य जीव की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाता है।
- वर्तमान में भारत में 567 वन्य जीव अभयारण्य हैं।



संरक्षण आरक्षित क्षेत्र एवं समुदाय आरक्षित क्षेत्रः-

- पर्व 2002 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में संसोधन कर इसमें इन आरक्षित क्षेत्रों को जोड़ा गया था।
- इन क्षेत्रों को घोषित करने के दौरान बढ़ों पर रहने वाले मानव समुदायों के अधिकारों में कमी किये बिना वन्य जीवों का संरक्षण सुनिश्चित किया जाता है।
- संरक्षण क्षेत्र तथा समुदाय क्षेत्र भारत में स्थापित शब्दीय उद्यानों, वन्य जीव अभयारण्यों और संरक्षित वनों के मध्य बफर जीन के रूप में या प्रवासी कीरिडोर के रूप में कार्य करते हैं।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

समुदाय आरक्षित क्षेत्र :-

- किसी व्यक्ति अथवा संस्था की अधिकारिता का ऐसा क्षेत्र जो शब्दीय उद्यान, अभयारण्य या किसी संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। उसे राज्य सरकार जीव जंतुओं और समुदाय के संरक्षण के लिए समुदाय आरक्षित क्षेत्र घोषित कर सकती है।
- समुदाय आरक्षित क्षेत्र घोषित करने का उद्देश्य वहाँ की वनस्पति, वन्य जंतु, पारम्परिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण करना है।
- समुदाय आरक्षित क्षेत्र के भीतर रहने वाले लोगों के अधिकार प्रभावित नहीं होते।



संरक्षण आरक्षित क्षेत्र :-

- राज्य सरकार की अधिकारिता वाला कोई ऐसा भूक्षेत्र जो शब्दीय उद्यान या अभयारण्य से लगा हुआ है तथा उन्हें एक-दूसरे से जोड़ता है। उसे संरक्षण आरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है।
- यह दृश्य भूमियों, समुद्री क्षेत्रों, जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों के संरक्षण हेतु स्थानिक समुदाय से विचार-विमर्श करने के बाद राज्य सरकार उसे संरक्षण आरक्षित क्षेत्र घोषित कर सकती है।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी


- इस क्षेत्र का प्रबन्धन संरक्षण आरक्षित क्षेत्र प्रबन्धन समिति द्वारा किया जाता है।

समुद्री संरक्षित क्षेत्र

- समुद्री सीमा के जलभराव के क्षेत्र के साथ संलग्न वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं के ऐसे क्षेत्र जो ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व के लिये हैं। इनके पर्यावरण को स्वस्थ बनाये रखने के लिये संरक्षित किया जाता है। जिन्हें समुद्री संरक्षित क्षेत्र कहा जाता है।
- अन्तर उच्चारीय या उपउच्चारीय क्षेत्र का कोई भी भाग जहाँ वनस्पति, जंतु तथा जल उपस्थित हो तथा हस्ती ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विशेषताएँ हो, उसे कानून या अन्य प्रभावी साधनों द्वारा संरक्षित किया जाता है। ताकि उस भाग या उससे खुड़े पर्यावरण की रक्षा की जा सके।
- भारत के समुद्री संरक्षित क्षेत्रों को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है।

1. वर्ग I

- इसके तहत समुद्री राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य मैन्यूर, अंतज्वारीय या उपज्वारीय क्षेत्र, कीरल रीफ, क्रीक्स, समुद्री घास बैंड, एल्फी बैंड,



पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

रक्षन्नुअरीज (ज्वारनदिमुख) एवं लैंगून (अवरोधक प्रवाल भित्ति) आदि जो संरक्षित किया जाता है।



२. वर्ग II

- इसके तहत हीपी के चारों ओर के समुद्री पारितंत्र भाग जो संरक्षित किया जाता है। (हीप के किनारे वाले हीन)

३. वर्ग III (A)

- इसके तहत समुद्र के जलीय भाग से जुड़े हुये रेतीली तटों (Sandy Beaches) को शामिल किया जाता है।

वर्ग III (B)

- इसके तहत हीपी पर स्थित सदाबहार एवं अर्ब-सदाबहार वन शामिल किये जाते हैं।


परित्त उपवन

- परित्त उपवन ऐसे हीन होते हैं जिन्हें लीगों की आस्था एवं प्राकृतिक लगाव के कारण संरक्षित किया जाता है।

- इसके अंतर्गत प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक महत्व के वनों, वनस्पतियों आदि को संरक्षित किया जाता है।


बाघ परियोजना (Project Tiger - 1973)

- बाघों को संरक्षण प्रदान करने, उनको सुरक्षित आवास एवं प्रजनन हेतु उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 1973 में बाघ परियोजना आरम्भ की गई थी।
- "गिम कॉर्बेट शब्दीय" उद्यान को भारत की पहली बाघ परियोजना घोषित किया गया था।
- इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बन्ध जीव प्रबंधन के साथ-साथ उन हेत्रों के प्राकृतिक आवासों का विकास करना भी है एवं बाघ पाले जाने हैं। तथा इन हेत्रों के स्थानीय निवासियों को रोजगार उपलब्ध करवाना जिससे वे लौग इस हेत्र के संसाधनों पर निर्भर ना रहें।
- इस परियोजना को आरम्भ करने में जोधपुर निवासी श्री कैलाश सांखला (टोडगढ़ में ऑफ इंडिया) की महत्वपूर्ण भूमिका थी।
- श्री फतेह सिंह जी राठोड (Tiger Man of Raj.)
- इस परियोजना का क्रियान्वयन एवं प्रबंधन शब्दीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) द्वारा किया जाता है। वर्तमान से 54 बाघ परियोजाएं चल रही हैं।




पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

- नागार्जुन सागर भारत की सबसे बड़ी बाध परियोजना है। (आन्ध्रप्रदेश) (क्षेत्रफल)
- बोर वन्य जीव अभयारण्य भारत की सबसे छोटी बाध परियोजना है। (महाराष्ट्र) (क्षेत्रफल)
- भारत में मध्यप्रदेश को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। क्योंकि यहां देश के कुल 6 टाइगर रिजर्व तथा लगभग 526 बाघ पाये जाते हैं।
- भारत के 20 राज्यों में कुल 2967 बाघ हैं।
- दुर्लभ असौंदर्य बाहों के लिए ओडिशा का नंदन कानन जैतु उद्यान प्रसिद्ध है।
- राजस्थान में चार बाघ परियोजनाओं चल रही हैं-
 - (1) रणथम्भौर - 1973
 - (2.) सरिस्का - 1978
 - (3.) मुकन्दरा हिल्स - 2013
 - (4.) रामगढ़ विष्णवारी (Bundi) - 2021



हाथी परियोजना (Project Elephant)


- हाथियों को संरक्षण प्रदान करने तथा सुरक्षित आवास तथा प्रजनन की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु 1992 में सिंहभूम हैत्र (झारखंड) से यह योजना आरम्भ की गई थी।
- हमारी संस्कृति में हाथी की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह हमारी परम्पराओं का अभिन्न अंग है।
- २०१० में इसे राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था।
- "गंगा डॉल्फिन" जलीय जीवों की श्रैणी में राष्ट्रीय विरासत पशु है।
- वर्तमान में यह प्रौजेक्ट १६ राज्यों के ३३ हैत्रों में संचालित किया जा रहा है।
- सावधिक हाथियों की संख्या वाला राज्य कर्नाटक (६०४९), असम (५७१९) तथा केरल (३०८४) है।



पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

Red Panda Project 1996

- Red Panda को संरक्षण प्रदान करने, शुरूहीत आवास, एवं प्रजनन उपलब्ध करवाने हेतु 1996 में Wwf के सहयोग से "पदमजा नाथटू इमालथन जंगु पार्क" (दार्जिलिंग) (प. बंगाल) से यह परियोजना शुरू की गई।
- यह एक शोकाहारी जीव है, जिसका मुख्य भोजन बॉस की पत्तियाँ हैं।
- वर्तमान में यह परियोजना 4 राज्यों में चल रही है। वो राज्य हैं - सिक्किम, अस्सान्धन प्रदेश, पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग तथा मैघालय।



Olive Ridley Turtle Project 1972

- यह दक्षिण अमेरिकी कछुएं की एक प्रजाति है, जो प्रजनन हेतु प्रशांत महासागर से भारतीय द्वीपों में प्रवास करता है।
- इस कछुए का प्रयोग बहुमूल्य दवाईयों से किया जाता है जिससे इनका शिकार अधिक होने लगा, अतः संरक्षण हेतु 1972 में भीतरकालीन अभ्यारण्य (ओडिशा) से यह परियोजना आरम्भ की गई।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

- इस कट्टुए का प्रजनन स्थल गढ़िरमाड़ा है जो 3 km. लंबा तथा लगभग 350 m. चौड़ा छीप है। यह दो नदियों के मुहाने के बीच भीतर बागिंगा अभयारण्य में स्थित है।

कस्तूरी मृग परियोजना 1970



- कस्तूरी के औषधीय गुण, सुगंध तथा अत्यधिक कीमत के बारण खड़ी संख्या में कस्तूरी मृग मारे जाने लगे जिससे यह विलुप्ति की कगार पर पहुँच गया।
- अतः IUCN के सहयोग से कस्तूरी मृग परियोजना उत्तराखण्ड के 'केदारनाथ अभयारण्य' में 1970 के दशक से आरम्भ की गई।
- कस्तूरी मृग के लिये 'हिमाचल प्रदेश' का विकारी देवी अभयारण्य तथा उत्तराखण्ड का केदारनाथ अभयारण्य प्रसिद्ध हैं।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

- कस्तुरी मूँग हिमालय की चंबा धारी से लेकर सिविल तज के हिमालय हेत्र से पाये जाते हैं।

प्रोजेक्ट गोडावन 2013




- विलुप्ति के कगार पर पहुँच द्योले "द मेट इंडियन वर्सटी" पढ़ी को बचाने के लिये राजस्थान सरकार ने 2013 में प्रोजेक्ट गोडावन नामक एक अभियान जैसलमेर से आरम्भ किया है।
- कभी भारत का राष्ट्रीय पढ़ी बनने की छोड़ में रहने वाला गोडावन पढ़ी की संख्या लगभग 150 से 200 के बीच रह गई है।
- गोडावन, घास और आवास का सांकेतिक प्रभाव है और इसकी विलुप्ति इस बात का संकेत है कि भारत में घास और आवासों की कमी हो रही है।

IUCN

International Union for Conservation
of Nature and Natural Resources


- इसकी स्थापना 1948 में पेरिस में (फ्रांस) इन्टरनेशनल
फॉर प्रीटिक्शन ऑफ नेचर (IUPN) [1948-1956] के नाम से हुई थी।
- इसका मुख्यालय ब्लैड, स्विज़रलैंड में है।
- यह प्रकृति के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत् उपयोग के होत में कार्य करने वाला एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है।
- यह डेटा एकत्र करने और उनका विश्लेषण, अनुसंधान, छोटीय परियोजनाओं, संरक्षण की बनालत, और शिक्षा आदि जागीर में शामिल है।
- IUCN का मिशन है कि प्रकृति के संरक्षण के लिये दुनिया भर के समूहों जो प्रोत्साहित और सहायता प्रदान करना, और यह सुनिश्चित करना है कि प्राकृतिक संसाधनों का कोई भी उपयोग समान तथा सतत् रूप से स्थायी हो।



पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

Red Data Book

- IUCN द्वारा "वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम" तथा "प्रजाति उत्तरजीविता आयोग" के सहयोग से ऐड डाटा छुक जारी की जाती है। जिसमें वैश्विक स्तर पर बन्ध जंतुओं एवं पादप प्रजातियों की संकटशब्द स्थिति का आमलन प्रस्तुत किया जाता है।
- IUCN ने नी गई प्रजातियों के संरक्षण की स्थिति, उनके विलुप्त होने के खतरे को उजागर करने एवं उनके संरक्षण के लिए आवश्यक उपायों को बताने हेतु Red Data Book प्रकाशित करता है।



(LC)

(Ex)

विलोपन का बढ़ता हुआ खतरा

Red data book में प्रजातियों की निम्न श्रेणियाँ हैं।

1. विलुप्त

- वे प्रजातियाँ जो पृथकी पर वर्तमान समय में मौजूद नहीं हैं। लेकिन पहले सूखी पर मौजूद थीं।
- कोई भी प्रजाति यदि पिछले 40-50 वर्षों से प्राकृतिक आवासों में विलुप्त नहीं हो, तो उन्हें विलुप्त घोषित कर दिया जाता है।
- पिछले कुछ वर्षों में (200-300 वर्षों में) भारत में विलुप्त प्रजातियों निम्न हैं-


(1) ऐश्वियाई चीता

(2) शुलाकी सिर वाली बतख

(3) सुंदरवन जा बीना गोड़ा

(2.) प्राकृतिक आवासों से विलुप्त

- ऐसी प्रजातियाँ जो अपने प्राकृतिक आवासों में उपस्थित नहीं हैं, लेकिन विडियाधर, बनस्पति उद्यान, जीव उद्यान आदि में संरक्षित किया गया हैं।



पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी


- उदाहरण - थूफोकिया मधुरनाथानी (भैश्वर्मी धाट का स्थानिक पादप), कोराइफा टेलेरा (टालीयोग) (पादप West Bengal)

(3) अत्यधिक संकटश्रस्य (Critically Endangered)

- वे प्रजातियाँ जिनकी जनसंख्या विश्व ले 10 वर्षों में 50% कम हो गई हैं।
- वे प्रजातियाँ जो पूर्णतः विलुप्त नहीं हुई हैं परंतु होने के कागार पर हैं।
- वर्तमान में उनके सदस्यों की कुल संख्या 250 या उससे कम हो तथा 50 या उससे कम परिपक्व सदस्य छोड़ हो।
- इस श्रेणी के प्रजातियों के सदस्यों की आगामी 10 वर्षों में 50% संख्या और कम होने की संभावना होती है।
- उदाहरण - गिर्हि, गोडावन, साइबेरियन सारस, नामदफा, उड़न गिलहरी, कश्मीरी रॉटेंग (हण्डु), फिरमी होंग, घिमालयन बैटर, खंगली उल्लू, मालाकार सीवेट आदि।

4. संकटश्रस्य (Endangered)

- इन प्रजातियों के जीवों पर कठोर से विलुप्त होने का खतरा बना रहता है।



पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

- (i) ऐसी प्रजातियाँ जिनकी जनसंख्या में विगत 10 वर्षों में 50% की कमी हुई है।
- (ii) वर्तमान में इनकी कुल संख्या २५०० से ऊम हो तथा २५० या उससे ऊम परिपक्व सदस्य शैष हो।
- (iii) इस श्रेणी की प्रजातियों की जनसंख्या में आगामी १० वर्षों में २०% जनसंख्या और ऊम होने की संभावना होती है।

उदा. - नीलगिरी ताहर, लाल पांडा, गंगा डॉल्फिन, बिंगाल टाइगर (बाघ), खुनहरा लंगूर, लोधन टेल मॉक, हिमालयन कस्टरी मृश, स्नो लैपटि, भारतीय बाइसन कीन कछुआ, चीर आदि।

5. सुन्दरी प्रजातियाँ (Vulnerable)

- के प्रजातियाँ जिनके बनों में संकटश्रस्थ हो जाने की संभावना है।
- (i) ऐसी प्रजातियाँ जिनकी जनसंख्या में विघ्ले 10 वर्षों में 50% की कमी हुई है।
- (ii) वर्तमान में इनकी कुल जनसंख्या 10,000 से ऊम तथा 1000 या उससे ऊम परिपक्व सदस्य शैष हो।
- (iii) इस श्रेणी के प्रजातियों के सदस्यों की संख्या आगामी 100 वर्षों में 10% ऊम होने की संभावना है।



पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

उदा. एक सींग वाला ग्रौंडा, अफ्रीकन हारी, ऑलिव रिडले टर्टल, सांभर, इशुगोंग, नीलागिरी लंबूर चार सींग वाला मृग, आदि।

6. संकट के निकट (Near threatened)

- ऐसी प्रजातियाँ जिनके निकट भविष्य में संकटमयस्थ हो जाने की संभावना हो इस श्रेणी में शामिल की जाती हैं।

उदा. - भैंडिया, तेंदुआ, हिमालयन ताहर आदि।


7. संकटमुक्त (Least concern)

- ऐसी प्रजातियाँ जिनके भविष्य में संकटमयस्थ होने की संभावना नहीं होती है।

- यह प्रजातियाँ बहुतायत में विस्तृत हैं तो में पार्श्व जाती हैं।

8. Data Deficient (आजड़े अपयोगित)

9. Non-evaluated (आजड़े उपलब्ध नहीं)



पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

WWF World Wide fund for Nature

- यह एक अन्तर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी।
- इसका मुख्यालय - ब्रॉन्क्स (स्विटजरलैंड)
- प्रतीक - विशाल पाठा
- यह प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल से द लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट प्रकाशित करता है। यह लिविंग प्लैनेट सूचकांक तथा इंजीलोंजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेशन पर आधारित है।




उद्देश्य

- (1) जैव विविधता संरक्षण से सम्बंधित आवश्यकताओं तथा परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण करवाना।
- (2) संकटभरण प्रजातियों जो उनके प्राकृतिक आवासों में संरक्षण हेतु संबंधन करना।
- (3) प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिये परियोजना बनाना तथा वर्तमान परियोजनाओं का विस्तार करना।
- (4) वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संबंधन हेतु शिक्षण तथा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना।
- (5) पर्यावरण संरक्षण तथा जैव विविधता के सम्बन्ध में लोगों में आगामकता बढ़ाना।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

- WWF द्वारा मार्च माह के अंतिम शनिवार को Earth Hour Day का आयोजन किया जाता है।
- जिसके तहत सभी लोगों को 8:30 PM से 9:30 PM तक बिजली बंद करने के लिए प्रेरित किया जाता है।
- यह कार्यक्रम 2007 में सिडनी शहर से प्रारम्भ किया गया था।



CITES

Convention on International trade in
Endangered Species of Wild flora and fauna

- यह एक अन्तर्राष्ट्रीय समझौता है; जिसका मुख्य उद्देश्य संकटभव्य पादप एवं जंतु प्रजातियों के अत्पादन के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करना है। जिससे उनका संरक्षण किया जा सके।
- यह समझौता 3 मार्च 1973 में IUCN सदस्य देशों की वारिंगटन सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत किया गया था तथा हस्ताक्षर के लिए जारी किया गया था। अतः 3 मार्च को विश्व बन्ध अधिकारिय दिवस मनाया जाता है। यह समझौता 1975 से प्रभावी हुआ।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

- इसके क्रियान्वयन एवं प्रबंधन की जिम्मेदारी UNEP
(1972)
स्टाकहॉम सम्मेलन
- इसमें मुख्यालय - जैनेवा, स्विटजरलैंड
- इसमें बुल 183 देश सम्मिलित हैं।
- इसमें तहत लगभग 35000 प्रजातियों की उत्पादों
के व्यापार को नियंत्रित किया जाता है।
- यह सदस्य देशों के लिए कानूनी रूप से कानूनी
समझौता है।
- प्रत्येक उष्ण में इसमें सदस्यों देशों की बैठक
होती है, जिसे COP कहते हैं।

COP-17 → 2016 में बैठक - जीएन्सबर्ग

COP-18 → 2019 में बैठक - जैनेवा, स्विटजरलैंड

COP-19 → Nov 2022 → Panama City (Panama)

वर्गीकरण

① सूची-१

- यह उन प्रजातियों को सूचीबद्ध करता है
जिन पर विलुप्त होने का खतरा है।
- यह वैज्ञानिक या शैक्षिक कारणों जैसी असाधारण
स्थितियों को छोड़कर इन पादप तथा जंतु



पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

प्रजातियों का बाणिज्य व्यापार नहीं हो सकता।


- इसमें लगभग 1200 प्रजातियों शामिल हैं।
- ऐसे - इसमें भारतीय प्रजातियों जैसे ऐश्विराई शेर, Red Panda, छायी तथा बोध आदि।

② सूची-II

- इसमें वे प्रजातियों शामिल हैं जिन्हें विलुप्त होने का खतरा नहीं है लेकिन यदि व्यापार को विनियमित नहीं किया गया, तो इनकी संख्या में गंभीर गिरावट आ सकती है।

- इसमें व्यापार को परमिट (लाइसेंस) के द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

- इसमें लगभग 21000 प्रजातियों शामिल हैं।




③ सूची-III

- वे प्रजातियों जो किसी सदस्य देश में संरक्षित की गई हैं और वह देश उस प्रजाति के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने से मदद के लिये दूसरे देशों से सहयोग मांगता है तथा वह देश इस समझौता का सदस्य है।

TRAFFIC

Trade Record analysis of flora and fauna in Commerce

- यह IUCN और WWF के सहयोगी के रूप में काम करने वाला NGO है।
- यह बन्धजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क, जैव-विविधता और सतह विकास के सन्दर्भ में बन्ध पादपों एवं जंतुओं के व्यापार पर निगरानी के लिए वैश्विक रूप से कार्य करने वाला मुख्य गैर-सरकारी संगठन है।
- इसकी स्थापना - 1976ई. में हुई थी।
- मुख्यालय - कैम्पिङ, यू.के. में है।




Convention On Biological Diversity (CBD)

जैव विविधता सम्मेलन

- यह जैव विविधता संरक्षण से सम्बंधित एक अंतर्राष्ट्रीय समिति है जो रियो सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।
- इसे 22 May 1992 को नैरोबी सम्मेलन में स्वीकार किया गया था, इस कारण 22 May को प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव-विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- 29 Dec. 1993 से यह प्रभावी हुआ।
- CBD का मुख्यालय मान्द्रियल, कनाडा में है।
- यह समझौता सदस्य देशों के लिए कानूनन वाह्यकारी है।

CBD के तीन उद्देश्य

- (1) जैव विविधता का संरक्षण करना।
- (2) जैव विविधता का प्रयोग करके सतत लाभ प्राप्त करना।
- (3) आनुवांशिक घटकों के उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभ का समान व निष्पक्ष वितरण करना।



पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

- इस सम्मेलन में यह चर्चा की गई कि कौई भी प्रादृप या जंतु प्रजाति उस शब्द की ऐसे सम्पदा मानी जायेगी जिस शब्द की वह मूल क्षमता है।
- अतः यदि कौई बहुशब्दीय कम्पनी उस प्रजाति का उपयोग करके उत्पाद विकसित करती है तथा लाभ कमाती है तो उस प्रजाति के मूल शब्द को रांगलती की जानी चाहिए।
- CBD के इन प्रावधानों को स्वीकार्य करनाने हेतु COP on CBD का आयोजन किया जाता है।
- वर्तमान में यह आयोजन प्रति 2 वर्ष के अंतराल में होता है।
- इसमें कुल 196 देश शामिल हैं (संयुक्त राज्य के सदस्य, अमेरिका को छोड़कर)

जैव सुरक्षा पर कार्टजीना प्रोटोकॉल (कोलंबिया)

- यह जैव सुरक्षा समझौता है।
- इस समझौता को जनवरी 2000 में पेरिस में तैयार किया गया था तथा मई 2000 को कोलंबिया के कार्टजीना में इस पर हस्ताक्षर हुए।



पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी


- यह समझौता जेनेटिक तरीके से भुवरे गये उत्पादों (GMO, LMO, ड्रांसजैनिक जीव) के व्यापार जो नियमित करने के उद्देश्य से किया गया था।
- यह प्रौदीकॉल आधुनिक जैव प्रौदीगिकी से बनाये गये LMO द्वारा संभावित जीविमों से जैव विविधता की सुरक्षा करता है।
- यह एक अभीम सूचना समझौता प्रणाली की व्यवस्था करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आयातक देशों जो अपने देश में ऐसे LMO का आयात करना हैं या नहीं। इस नियम के लिए आवश्यक जानकारी नियतिक द्वारा प्रदान की जाती है।
- सदस्य राष्ट्र यदि यह मठसूस करते हैं कि कोई GMO उनके पर्यावरण जो हानि पहुँचा सकता है तो वे उन्हें प्रतिवर्धित कर सकते हैं।



जवाहेदी और क्षतिपूर्ति पर नागोया कुआलालाम्पुर

अनुपुरक प्रोटोकॉल


- यह जैव सुरक्षा पर काटज़िना प्रोटोकॉल का सहायक समझौता है।
- इसके अंतर्गत LMO (Living Modified Organism) का एक देश से दूसरे देश में आयात-नियंत्रित होने पर आयातके देश में हुई जैव विविधता की क्षति हेतु जवाबदेही तथा क्षतिपूर्ति के लिये अंतर्राष्ट्रीय नियम तथा प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है।
- 2010 में इस समझौता पर सहमति बनी तथा 2011 में इसे हस्ताक्षर हेतु रखा गया।
- 40 सदस्य देशों द्वारा अनुमोदन के पश्चात् 2018 से यह लागू हो गया।
- भारत ने इसका अनुमोदन किया है।



पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

COP 10 on CBD 'नगोया' जापान, २०१०


- यह जैव-विविधता संरक्षण से एवं जैव सुरक्षा से सम्बंधित CBD का संधायक समझौता है।
- इसमा मुख्य उद्देश्य जैव-विविधता संरक्षण तथा अन्के उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभ का समान एवं निप्पत्ति वितरण करना था।
- CBD के लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा शब्दों एवं अंतरांगीय स्तर पर जैव-विविधता के संरक्षण हेतु एक 10 वर्षीय कार्ययोजना बनाई गई।
- इस कार्ययोजना में जो लक्ष्य निर्धारित किये गये उन्हें आइची टारगेट कहा जाता है।
Aichi जापान का एक राज्य है; जिसकी राजधानी नगोया है।
आइची टारगेट को 20 लक्ष्यों तथा 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है।
 1. जैव विविधता को सरकार एवं समाज की मुख्य धारा में लाने हुए जैव-विविधता के बुलसान के कारणों का समाधान करना।



पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

१. जैव-विविधता पर प्रत्यक्ष दबाव कम करना और सतत् उपयोग को बढ़ावा देना।
२. जैव-विविधता की स्थिति में सुधार करने के लिये पारिस्थितिक तंत्र, प्रजातियों एवं आनुवांशिक विविधता की रक्खा करना।
३. जैव-विविधता एवं पारिस्थितिकीय सेवाओं से सभी के लाभ को बढ़ाना।
४. सहभागी नियोजन, ज्ञान का प्रबंधन एवं हामता निमंगि द्वारा जैव विविधता संरक्षण के क्रियान्वयन को बढ़ाना।

→ COP-II → छैदराबाद (भारत)
on CBD 2012



→ COP-14 → शार्फ अल शैख (मिश्र)
on CBD 2018 में

→ COP-15 → कुंमिंग (चीन) [Part-I]
on CBD Oct 2021
Part-II → Montreal (कनाडा)

जैव-विविधता अधिनियम 2002

→ CBD के लक्ष्य
प्राप्त करने हेतु भारतीय संसद ने जैव-विविधता अधिनियम 2002 पारित किया जो 2003 से प्रभावी हुआ।


- इसके प्रावधान निम्न हैं-

- (1) जैव-विविधता का संरक्षण करना एवं उनका सतर्त उपयोग करना।
- (2) जैव-विविधता के होत्र में स्थानीय लोगों के स्नान को सम्मान प्रदान करते हुये जैव विविधता का संरक्षण करना।
- (3) जैव-विविधता की दृष्टि से सम्पन्न होत्रों को शाहदीय जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करना एवं उन्हें विशेष संरक्षण प्रदान करना।
- (4) संकटग्रस्थ प्रजातियों को आवास एवं पुनर्वसि की सुविधा उपलब्ध करवाना।
- (5) जैव-विविधता संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करना।
- (6) इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु शाहदीय, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर समितियाँ बनाना।



पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

- राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण (NBDA) की स्थापना 2003 में की गई थी, जिसका मुख्यालय चेन्नई में है।
- राज्य स्तर पर जैव-विविधता बोर्ड गठित किये जाते हैं।
- राजस्थान जैव-विविधता नियम 2010 में जारी किये गये थे।
- राजस्थान जैव-विविधता बोर्ड का गठन 2010 में किया गया, इसका मुख्यालय जयपुर में है।
- विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, रेलवे मंत्रालय तथा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय हारा "Science Express Train 2007" से संचालित की जा रही है।
- 2012 में इसका नाम "Science Express Bio diversity Special" कर दिया गया।
- 2015 में इसका नाम बदलकर "Science Express climate change Special" रखा गया।



Wild Life Protection Act 1972 (वन्य जीव सुरक्षा आदि -नियम)

- वन्य जीव -


इसमें सभी जंतु एवं पादप समिलित हैं।
जिनका घरों में पालन नहीं किया जाता है।

- यह अधिनियम वन्य जीवों (स्थलीय + जलीय) तथा उनके आवास की सुरक्षा हेतु लागू किया गया है।

- इस Act में 6 अनुसूचियाँ हैं।

- यह अधिनियम वन्य जीवों के शिकार, तस्करी तथा गैर-कानूनी व्यापार को प्रतिबंधित करता है जो वन्य जीव अनुसूची ① से ⑥ में समिलित किये गये हैं।

अनुसूची 1 तथा अनुसूची 2 का भाग II



- वे जीव जिन्हें अनुसूची 1 तथा अनुसूची 2 के भाग II में समिलित किया गया है, उन्हे पूर्णतः सुरक्षा प्रदान की गई है। इसके तहत अपराध के लिये उच्चतम दंड निर्धारित हैं।

अनुसूची १ में शामिल वन्य जीवों के उदाहरण

- लोथन टेल्ड मकोंब, एक सिंग वाला ग्रोडा, गोडावण काला हिरण, निकोलार मैगापौड़, नारकोन्डम हार्न बिल (Bird)

अनुसूची २ के भाग ट्र० में शामिल वन्य जीवों के उदाहरण


- शीस स बन्दर, ढोल (जंगली कुत्ता), बंगाल पार्चुपाइन (शाम्पूसी) किंग कोबरा, नामदफा उड़न छिलहरी, हिमालयन लाइन आलू

अनुसूची ३ तथा अनुसूची ५

- अनुसूची ३ तथा अनुसूची ५ में शामिल वन्य जंतुओं को भी संरक्षित किया गया है लैकिन अनुसूची १ तथा अनुसूची २ की तुलना में दंड जम है।

अनुसूची ३ में शामिल वन्य जंतुओं के उदाहरण

- (i) लकड़करघा
- (ii) भारतीय हैग हिरण
- (iii) तील गाय
- (iv) गोरल
- (v) स्पंज
- (vi) बार्किंग डीयर



अनुसूची ५ में शामिल वन्य जंतुओं के उदाहरण

- (i) नैवला
- (ii) शिव्वा

अनुसूची 5

- अनुसूची 5 में शामिल जाँतुओं को वर्णिन्दा कहा जाता है जिनमा शिकार किया जाता है।

उदा. - चूला, सोमान्य और

उड़ने वाली लौमड़ी (फल खाने वाला चमगादड़)

अनुसूची 6

- अनुसूची 6 में शामिल पादपों और उत्पादों की छेत्री, संभष्टि, निष्कर्षण एवं व्यापार आदि निषेध हैं।

उदा. - 1. रेड वांडा > (आर्किड की प्रजाति)

2. प्लू वांडा

3. कथ

4. पिक्चर प्लांट

5. लैडिस स्लीपर आर्किड।



Q. ① जैव विविधता के विभिन्न स्तर क्या हैं, समझाइये? (50)

Q. ② जैव विविधता का मापन कितने प्रकार से किया जाता है। उदाहरण सहित समझाइये? (50) Words

Wetland (नमधूमि / आर्द्धमूमि)

- नमधूमि क्षेत्र जलीय तथा स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य का संकरणकारी भाग है। जो स्थानीय और अस्थानी रूप से जल से संतुष्ट होते हैं।
- झील का किनारा, तालाब का किनारा, नदी के किनारे वाले क्षेत्र तथा समुद्र तटीय क्षेत्र नमधूमियों में सम्मिलित किये जाते हैं।
- इन क्षेत्रों में जल की उपलब्धता अधिक होती है। अतः यहाँ पर विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का विभास होता है।
- यहाँ पर मैंग्रेव वनस्पतियाँ पायी जाती हैं, जिनमें विशेष प्रकार की जड़ें, जिन्हें न्यूमोटोफोर कहते हैं। पायी जाती हैं।

परिभाषा -


दलदल, पंकधूमि, पीठधूमि ये सभी कृत्रिम या प्राकृतिक हो सकती हैं। इनको प्राप्त होने वाला जल स्थानीय या अस्थानी हो सकता है, ऐवर या गतिशील हो सकता है। तथा ताजा, खारा या लवणीय हो सकता है। यह क्षेत्र आर्द्धमूमि के तहत आते हैं।



पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

— इसके तहत ऐसे सागरीय होते भी आते हैं।
जहां पर निम्न उचार के समय भी ठहराई 6 m
तक रहती हैं।

नमधूमि होती का महत्व



1. यहां पर पौष्टक तत्वों की मात्रा अधिक होती है,
जिससे यहां की उत्पादकता अधिक होती है।
2. यहां पर विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का विवास
होने के कारण यहां की जैव-विविधता अधिक
होती है।
3. यह होते पश्चियों की प्रजातियों के लिए विशेष
रूप से अद्युक्तुलित होते हैं तथा प्रवासी पश्चियों
को आमंत्रित करते हैं।
यह होते खलीय पारिस्थितिकीय तंत्र तथा स्थलीय
पारिस्थितिकीय तंत्र के मध्य बफर जौन का निर्माण
करता है, जो बाढ़ तथा मूका अपरदन की तीव्रता को
कम करता है।
4. स्थानीय लोगों को खाद्य, इर्ष्यान्, तथा अन्य
संसाधन उपलब्ध करवाता है।
5. पर्यटन की हड्डि से यह स्थल महत्वपूर्ण होते हैं।
इसलिये स्थानीय समुदाय के लिये नये आर्थिक
अपराध उत्पन्न करते हैं।

6. नम भूमि हेतु शृंजल पुनर्वरण तथा पौष्ट्र तत्वों के पुनःचक्रण में सहायक हैं।

नमभूमि हेतों को प्रभावित करने वाले कारक



1. स्थानीय लोगों द्वारा नमभूमि हेतों को कृषि भूमि में परिवर्तित किया जा रहा है।
2. उद्योगों तथा शहरी हेतों से आने वाले प्रदूषक नमभूमि हेतों को प्रभावित करते हैं।
3. खुपीषण जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं।
4. इन हेतों में मिलने वाले खंभाघनों का अत्यधिक दौष्ट हो रहा है।
5. जलवायु परिवर्तन के कारण भी ये प्रभावित हो रहे हैं।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

नम भूमि क्षेत्रों का संरक्षण :

रामसर कन्वेनशन 1971।

- नम भूमि क्षेत्रों के संरक्षण तथा सतत् उपयोग के लिये 2 feb. 1971 को इरान के रामसर क्षाहर में समझौता किया गया था।

- 2 feb. को विश्व नम भूमि दिवस मनाया जाता है।
- मुख्यालय - ठीलै०४ (स्विटजरलै०४)

रामसर समझौते के सदस्य देशों के तीन प्रमुख दायित्व हैं-

1. आर्द्रभूमि का अव्यासंभव धारणीय / सतत् उपयोग करना।
 2. आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि की सूची (Ramsar list) में शामिल करवाना।
 3. अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्थित आर्द्रभूमियों, साझा जल व्यवस्थाओं, और साझा प्रजातियों की संरक्षण की जिम्मेदारी सामूहिक रूप से वहन करना।
- भारत 1 feb. 1982 से रामसर समझौते में शामिल हुआ तथा विल्का बील (ओडिशा) भारत का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया।



- वर्तमान में विश्व में लगभग २५०० रामसर स्थल हैं। जिनमें से ७८ भारत में स्थित हैं।

मांट्रेक्स रिकार्ड

- यह उन नमभूमि हेतु का रजिस्टर है जिसमें ऐसी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों को शामिल किया जाता है जहां आर्थिक विकास, प्रदूषण या मानवीय हँस्तक्षेप के कारण वहां की पारिस्थितिकी में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है।
- वर्तमान में भारत के दो रामसर स्थलों को मांट्रेक्स रिकार्ड में शामिल किया गया है।
 - (१) केवलादेव शब्द्रीय उद्यान नमभूमि — 1990 में
 - (२) लौकटज झील (मणिपुर) — 1993 में
- घिल्का झील (ओडिशा) को 1993 में इस सूची में शामिल किया गया था लेकिन 2002 में इस सूची से हटा दिया गया है।



पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

प्रवाल भित्ति (Coral Reef)

- प्रवाल भित्ति का निर्माण कोरल पौलिप के बाह्य कंकाल के समायोजन से होता है।
- कोरल पौलिप निडरिया संघ का जीव है तथा यह उफना कटिकंधीय महासागरों में मिलता है तथा C₉C₀₃ (द्वूना पत्थर) का उपयोग करके अपना बाह्य कंकाल बनाते हैं।
- अनेक कोरल पौलिप समूह में रहते हैं।
- जब कोई कोरल मर जाता है तो दूसरा कोरल पौलिप उसके ऊपर स्थापित हो जाता है। तथा लम्फि समय में वहाँ पर एक विशाल भित्ति का निर्माण होता है; जिसे प्रवाल भित्ति कहते हैं।


प्रवाल भित्तियों की विशेषताएँ



- 1. प्रवाल भित्ति का निर्माण 30°N से 30°S अक्षांश के मध्य होता है।
- 2. प्रवाल भित्ति के निर्माण के लिये एक निश्चित तापमान (26-27°C) होना चाहिये। इससे अधिक

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

या कम तापमान होने पर कोरल की सूख हो जाती है।



- ३. प्रवाल भित्तियाँ लगभग 200 - 250 ft की गहराई तक पाई जाती हैं। इससे अधिक गहराई पर प्रकाश तथा D₂ की उपलब्धता कम हो जाती है।

- ४. कोरल के लिए स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है अतः इसके विकास के लिये अवसाद रहित जल होना चाहिये, क्योंकि अवसाद शुक्त जल से कोरल पौलिप का मुँह बंद हो जाता है।

- ५. प्रवाल के विकास के लिए एक निश्चिह्नित नवायत की आवश्यकता होती है। (25-30%) नवायी जल में १८०३ होता है जो कोरल के लिये आवश्यक है।

- ६. कोरल के विकास में महासागरीय धाराओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि ये धाराएं पीषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाती हैं।

- ७. प्रवाल भित्ति के निर्माण के लिये एक प्लैटफार्म की आवश्यकता होती है।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

- ४. कोरल तथा Zoanthellae कीवाल के मध्य शहजीवी सम्बन्ध होता है।
- इसमें कोरल कीवाल को रहने हेतु स्थान तथा प्रकाश संश्लेषण के लिये CO₂ उपलब्ध करवाता है। तथा कीवाल कोरल को मौजन उपलब्ध करवाता है।
- प्रवाल गिरि का रंग कीवाल में मिलने वाले वर्णक प्रीटीन पर निर्भर करता है।

प्रवाल गिरि के प्रकार

- यह तीन प्रकार की होती है।
 - (1) तटीय
 - (2) अवरोधक
 - (3) Ato II



(1) तटीय (Fringing Reef)

- यह सागर / महासागर के तटीय क्षेत्रों से पूँछी होती है। तथा भारत की अधिकांश प्रवाल गिरि तटीय प्रकार की हैं।

(2) अवरोधक

- यह समुद्र तट से कुछ दूरी पर Sea तट के समान्तर होती है। तथा ये लैंगुन कहानी हैं।


पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

- ये भित्तियाँ सर्वाधिक लंबी, चौड़ी एवं ऊँची होती हैं।
- विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति आस्ट्रेलियाई अटल बेरियर रीफ है। जो नगदगग 2300 km लंबी है।

(3) Atoll

- यह गोलाकार, आठाकार या अष्ट्रिवृताकार होती है। यह किसी द्वीप के चारों ओर या जलमण्डल पठार पर बनती है।

उदा. - भारत के लद्ध्यद्वीप की प्रवाल।



प्रवाल भित्ति का महत्व

(1) जैव विविधता

- इन क्षेत्रों में पौधक तत्वों की मात्रा अधिक होती है जिससे विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का विवास होता है। अतः जैव विविधता की दृष्टि से यह क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं।

- प्रवाल भित्तियाँ विश्व के कुल समुद्री भाग के 1% से भी कम क्षेत्र में मिलती हैं, जबकि यहां पर कुल समुद्री प्रजातियों की 25% मिलती है। अर्थात् जैव विविधता अत्यधिक होती है।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

- कौवालों की उपलब्धता के कारण यहाँ की उत्पादकता भी अधिक होती है। एवं जैव-विविधता भी अधिक होती है। अतः प्रवाल भित्तियों को महासागरों के वर्षावन कहा जाता है।
- ② पौष्टक तत्वों की अधिकता के कारण सत्य उत्पादन की संभावनाएँ अत्यधिक होती हैं।
- ③ प्रवाल भित्तियों स्थानीय लोगों को खाद्य पदार्थ, औषधियाँ, मुँगा पत्थर एवं अन्य संसाधन उपलब्ध करवाते हैं।
- ④ प्रवाल भित्तियों प्राकृतिक रूप से सुंदर होती हैं। अतः पर्यटकों को आकर्षित करती है। जिससे स्थानीय लोगों को अतिरिक्त आर्थिक अवसर उपलब्ध होते हैं।
- ⑤ प्रवाल भित्तियों तटीय छेत्रों को समुद्री तृफानों से सुरक्षित रखती हैं।

भारत में प्रवाल भित्तियाँ

- भारत में 5790 km² छेत्र में प्रवाल भित्तियाँ पायी जाती हैं।



पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

- संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से भारत की प्रवाल अिति को 4 भागों में बांटा गया है -
 - ① कन्द्ध का रण क्षेत्र
 - ② लहड़हड़ीप
 - ③ मन्नार की खाड़ी
 - ④ अङ्गमान निकोबार हीप समूह



Q. ① जैव-विविधता के Hotspot क्या होते हैं। भारत में मिलने वाले Hotspot का संहित बनाना करो।

10 - mark

Q. ② जैव-आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं। समझाइये?

50 - mark

Q. ③ भमुदाय एवं संरक्षण आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं?

50 - m

Q. ④ Project Tiger के बारे में संहित टिप्पणी करें?

50 - m

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

Environment (पर्यावरण)

- वह प्राकृतिक संस्थना जिससे पृथकी धिरी हुई है; उसे पर्यावरण कहते हैं।

(जल मण्डल, रथलमण्डल, वायु मण्डल → जैव मण्डल)

अजैविक घटक

जैव घटक

- प्राकृतिक प्रभावों का वह समूह जो अपने भौतिक तथा जैविक क्षमतयों से किसी जीव की उत्पत्ति, विकास एवं मृत्यु को प्रभावित करता है, उसे पर्यावरण कहते हैं।



प्रदूषण

- पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक रूपों में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन प्रदूषण कहलाता है।
- प्राकृतिक संसाधनों की शुद्धता में होने वाला ऐसा परिवर्तन जो उनकी उपयोगिता को ही नष्ट कर दें। उसे प्रदूषण कहते हैं।
- प्रदूषण प्राकृतिक या मानवजनित हो सकता है।
- पर्यावरण से कुछ पदार्थों का कम या अत्यधिक मात्रा में मिलना जिससे पर्यावरण जीवन के लिये अनुपयोगी हो जाये।

प्रदूषक


- वे कारण जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। तथा ये ठोस, द्रव तथा गैस के रूप में हो सकते हैं।
- मानव जनित कारणों से उत्पन्न होने वाले शसाधनिक तथा अन्य पदार्थ जो पर्यावरण में अत्यधिक मात्रा में रक्षित होने पर पारितंत्र में उनका पुनःचक्रण संभव नहीं हो पाता या फिर पारिस्थितिकी तंत्र का स्वाभाविक संतुलन बदल जाता है।

प्रदूषकों का वर्गीकरण

१. जैव-निम्नीकरणीय प्रदूषक

- वे प्रदूषक जिनका सामान्यतः सूक्ष्मजीवों द्वारा अपघटन हो जाता है लेकिन इनकी मात्रा अत्यधिक बढ़ जाये तो ये प्रदूषण का कारण बनते हैं।

उदा. ईसोईंधरों से निकलने वाला कचरा, कागज पार्टिंग के अवशिष्ट पदार्थ।



पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

२. जैव अनियन्त्रिकरण.

— वे पदार्थ जिनका अपघटन पर्यावरण में सूखमाजीवों द्वारा नहीं होता या आंशिक रूप से होता है। इसके कारण ये लम्बे समय तक बने रहते हैं। तथा प्रदूषण का कारण बनते हैं।

उदा. — कीटनाशक, प्लास्टिक, अपमार्जन, ऐडियो संक्रिय पदार्थ, धातुओं के अवशिष्ट आदि।

३. प्राथमिक प्रदूषक (Primary Pollutants)





— वे प्रदूषक जो प्रत्यक्ष रूप से स्त्रीलिंग पर्यावरण से उत्सर्जित होते हैं।

— वे पदार्थ जो जिस रूप में उत्पन्न होते हैं उसी रूप में प्रदूषण का कारण बनते हैं। उन्हें प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं।

उदा.— SO_2 , CO , नाइट्रोजन ऑक्साइड (NO_2), पारा (Hg), कणीय पदार्थ (PM), वीलोटाइल आर्गेनिक कम्पाक्ट (VOC) (लाइट्रोकार्बन), DDT, प्लास्टिक आदि।

4. द्वितीयक प्रदूषक (Secondary Pollutants)

- वे प्रदूषक जिनका निम्नि पर्यावरण में होता है, उन्हे द्वितीयक प्रदूषण कहते हैं।
- दो या दो से अधिक प्राथमिक प्रदूषक रासायनिक रूप से क्रिया करके द्वितीयक प्रदूषक जा निम्नि करते हैं।
- द्वितीयक प्रदूषक प्राथमिक प्रदूषकों की तुलना में अधिक घातक होते हैं।
- जैसे - ① Smoke + fog = Smog
दृंगा + कोहरा = स्मोग
 ② Acid Rain (अम्लीय वर्षा)
 ③ ऑजीन (O_3)
 ④ पर्यावरणीय रसायनिक नाइट्रेट (PAN)




स्मोग के प्रकार

1. Photo chemical Smog / Los angles Smog / Red
 - Brown smog
 - इस प्रक्रिया में धुँआ, कोहरा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उच्च ताप व UV विकिरणों की आवश्यकता होती है।
 - ये सभी आपस में क्रिया करके लाल-भूरे रंग का Smog बनाते हैं।
 - यह ($\text{PAN} + \text{O}_3 + \text{Nitrogen Oxide}$) का मिश्रण है।

PAN


- जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड हाइड्रोकार्बन के साथ ऑक्सीजन तथा प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो PAN का निमित्त होता है।



पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

२. लंदन स्मोग / सल्फर स्मोग / विल्टर स्मोग / क्लासिक स्मोग

- इस प्रक्रिया में कोयले की जलाने से उत्पन्न हुआ सल्फर ऑक्साइड, कोहरा तथा तापमान की आवश्यकता होती है।
- ये सभी आपस में मिलकर H_2SO_4 अम्ल की वायप बनाते हैं।
- इसके प्रभाव से लंदन में 1952 में लगभग 4000 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी थी।



५. मात्रात्मक प्रदूषक

- वे पदार्थ जो सामान्यतः पश्चिम में उपस्थित होते हैं - परंतु ये प्रदूषक तभी बनते हैं जब इनकी सान्द्रता एक निश्चित सीमा को पार कर जाती है।

उदाहरण - ① CO_2 - जब इसकी सान्द्रता बढ़ती है तो यह क्षीरी डाइस प्रभाव का कारण बनती है।

② नोड्रोजन ऑक्साइड।

6. गुणात्मक प्रदूषक

— वे पदार्थ जो पर्यावरण में उपस्थित नहीं होते परन्तु मनुष्य के क्रियाकलापों द्वारा पर्यावरण में प्रवृश्च करते हैं। तथा इनकी सूक्ष्म मात्रा भी प्रदूषण का कारण बनती है।

जैसे — (1) कीटनाशी

(2) कवकनाशी

(3) शोकनाशी


(4) DOT आदि।



वायु प्रदूषण

- वायु की भौतिक, रासायनिक, एवं जैविक संगठन में हीने वाला अवांछनीय परिवर्तन वायु प्रदूषण कहलाता है।
- WHO के अनुसार वायु प्रदूषण बहु परिस्थिति है जिसमें वायु में ऐसे पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है जो जीव तथा पर्यावरण के लिये हानि कारबू होती है।

वायु प्रदूषण के कारण



- (1) धातव्यात के साधन
- (2) औद्योगिकरण
- (3) तापीय आजि संयंत्र (थर्मल)
- (4) निमिति कार्य
- (5) जनसंख्या वृद्धि
- (6) बढ़ों की कटाई
- (7) नाशकीय परिक्षण

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

प्रदूषक व उनके प्रभाव

1. $PM_{2.5}$

- 2.5 माइक्रोमीटर ($10^{-6}m$) से कम आगार के कण।
- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 2.5 माइक्रोमीटर से कम आगार के कण मानव स्वास्थ्य के लिये अत्यधिक हानिकारक होते हैं।

2. PM_{10}

- 10 माइक्रोमीटर से कम आगार के कण।
- ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं, इनकी वजह से श्वसन तंत्र सम्बंधी बीमारियाँ, जैसे सिलिंगोसिस एलझी व कैंसर आदि उत्पन्न होते हैं।

कार्बन मोनोऑक्साइड (CO)

- यह सबसे हानिकारक प्रदूषक है। यह वाहनों से तथा उद्योगों से उत्सर्जित होने वाले धूएँ में उपस्थित होती है।
- यह हमारे रक्त में कार्बोक्सी हिमोग्लोबिन बनाती है जो स्थायी प्रकृति का होता है। जिससे रक्त में Hb की कम हो जाती है।



पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

- इससे व्यक्ति की दम घुटने से मृत्यु भी हो सकती है अगर अधिक समय तक ज्यादा मात्रा में शरीर में पहुँच जाये।

सल्फर डाई ऑक्साइड (SO_2)


- इस गैस का उत्पादन मुख्यतः कोयले के जलने (तापीय ऊर्जा संयंत्र), स्मैल्टर उद्योग तथा तेल रिफाइनरी आदि से होता है।

- यह श्वसन तंत्र से सम्बंधित रोग पैदा करती है।

- सल्फर आक्साइड के कारण पादपों में क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है जिससे पत्तियाँ धीमी पड़ जाती हैं।

सल्फर डाई ऑक्साइड का प्रदूषण जिन हैंतों में होता है वहाँ पर लाइकेन नहीं पाये जाते अर्थात् यह SO_2 के प्रदूषण के संकेतग्रंथ होते हैं।

लाइकेन → कवक + क्रीवाल
(सहजीवी) Fungi + Algae



पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

NO₂ नाइट्रोजन ऑक्साइड

- इसका उत्पादन मुख्यतः वाहनों में जलने वाले पेट्रोलियम पदार्थों से होता है।
- यह फोटोक्रियोकल स्मौग, अम्लीय वर्षा तथा व्वसन तंत्र सम्बंधित रौग उत्पन्न करती है।



VOC वाष्पक्रील कार्बनिक थौगिक

- ये कार्बनिक रसायन हैं जो सामान्य तापमान पर वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं।

- इनके स्रोत परफ्यूम, हेयर स्प्रे, फानीचर पालिश, एयर फ्रिशनर, कीट प्रतिकर्षक, लकड़ी संरहान आदि हैं।

सीसा (Pb)

- यह पेट्रोल, डीजल, लैड बैटरियों, पेन्ट हेयर डाई इत्यादि उत्पादों में उपस्थित होता है।
- यह तंत्रिका तंत्र विकार, पाचन तंत्र की वीमारियों तथा कैंसर का कारण होता है।
- इसकी विषाक्तता प्लमाक्विष्म (लेजवा) के लिये होती है।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

शामान्य धूल की वजह से होने वाली बीमारियाँ

→ ब्यूमोकोनिथोसिस (Pneumoconiosis)

कपड़ा उद्योग में कपास की धूल की वजह से होने वाली बीमारी - विससिनोसिस / लंग फाइब्रोसिस / Monday fever
Byssinosis / Lung fibrosis

कोयला उद्योग में उड़ने वाली धूल की वजह से होने वाली बीमारी - एन्थ्राकोसिस (Anthracosis)

एस्केस्टस उद्योग में उड़ने वाली धूल की वजह से होने वाली बीमारी - एस्केस्टोसिस (Asbestosis)

लोहा उद्योग में उड़ने वाली धूल की वजह से होने वाली बीमारी - सिडेरोसिस (Siderosis)

पत्थर की पीसने वाले उद्योग में उड़ने वाली धूल की वजह से होने वाली बीमारी - सिलिकोसिस (Silicosis)



वायु प्रदूषण नियंत्रण

- उद्योगों से निकलने वाले धुएँ में दो प्रकार के प्रदूषक होते हैं
 - कणीय
 - गैसीय

① कणीय

- कणीय प्रदूषकों को छाने के लिए उद्योगों में मुख्यतः दो प्रकार के उपकरणों / शुक्तिशील का प्रयोग किया जाता है।

(A) प्रग्राही

- इनका उपयोग कणीय पदार्थों की प्रदृष्टि वायु से अलग करने के लिए किया जाता है।
- प्रग्राही अनेक प्रकार के होते हैं-


② पक्षवाली पृथक्कारण

- धुएँ में उपस्थित बड़े कणों की जम-से-जम नमी के साथ पृथक करने के लिए इस शुक्ति का उपयोग किया जाता है।
इसमें किसी प्रकार के फिल्टर का उपयोग नहीं होता।




- यह तकनीक अपेक्षन्त्रीय बल के सिद्धान्त पर कार्य करती है।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी



(ब) इलेक्ट्रो स्टेटिक प्रेसीप्रिटर


— इलेक्ट्रो स्टेटिक प्रेसीप्रिटर प्रदूषित धुंए में उपस्थित अत्यधिक सूखे कणों का विद्युत आवेश के नियम के आधार पर पृथक करने का कार्य करता है। तथा इसे विभिन्न आवेशित प्लेटों पर समित करता है।



पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

(B.) मार्जक (Scrubber)





- यह एक वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण है। जो उद्धोगों से निकलने वाले धुंर में उपस्थित औस को - एवं लानिकारक औसों को हटाता है।
- मार्जक SO_2 जैसी औसों को प्रदूषित वायु से मूच्छ कर देता है।
- मार्जक से धुंर को जल तथा चूने के पानी के फुआर से हीकर गुजारा जाता है।



② गैसीय प्रदूषकों को नियंत्रित करने के लिये दहन, अवशोषण (तरल पदार्थों द्वारा) तथा अधिशोषण (छोस पदार्थों द्वारा) इत्यादि तकनीक का उपयोग किया जाता है।

③ Catalytic Converter


इसका उपयोग वाहनों से निकलने वाले धुएँ में प्रदूषकों की मात्रा कम करने के लिये किया जाता है।



पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

④ भारत स्टेज

- वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने हेतु भारत स्टेज मानक अपनाये जाते हैं।
- वाहनों के लिये Bharat Stage-IV (BS-IV) प्रेरणा भारत में 1 April 2017 से लागू हुये थे।
- 1 April 2020 से भारत स्टेज -VI मानक लागू किये गये हैं।
- BS-IV इधन में 50 PPM सल्फर होता है जबकि BS-VI इधन में केवल 10 PPM सल्फर होता है।
- BS-IV डीजल कारों में कठीय पदार्थों (PM) को 80%, नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन को 70% तथा इंट्रोकार्बन + नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन को 43% तक कम कर सकता है।
- BS-IV पेट्रोल कारों में नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन 25% तक कम होगा।
- अच्छी गुणवत्ता के इधन, कुशल ड्राइवर, सीसा फ्री पेट्रोल तथा CNG आदि के उपयोग को बढ़ावा दी वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है।



पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

⑤ वायु प्रदूषण को कम करने के लिये नवीकरणीय आजी स्रोतों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

⑥ वनीकरण के माध्यम से भी वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जाना चाहिये।



Imp.

राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक (National Air Quality Index)

- "पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय" द्वारा 2014 में स्वच्छ भारत अभियान के तहत इसे तैयार करवाया गया। जिसकी आउटलाइन है एक नम्बर, एक रंग, एक वर्णन।
- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) इसकी निगरानी करते हैं।
- इस Index को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा (CPCB) IIT कानपुर तथा अन्य वैज्ञानिकों की मदद से तैयार करवाया गया।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

मुख्य उद्देश्य

- वायु की गुणवत्ता के बारे में सरल भाषा में जानकारी सार्वजनिक होते को उपलब्ध करवाना। जिससे आम आदमी वायु की गुणवत्ता के बारे में आसानी से समझ जाये।
- कठे शहरों तथा औद्योगिक होतों की वायु की गुणवत्ता की जांच करना।
- वायु की गुणवत्ता का मापन के प्रमुख प्रदूषकों की उपस्थिति के आधार पर किया जाता है।

1. $PM_{2.5}$

5. NO_2

2. PM_{10}


6. NH_3

3. CO

7. O_3

4. SO_2


8. Pb



- इस Index में 6 श्रेणियाँ हैं -

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

No.	श्रेणी	माप	रंग	प्रभाव
1.	अचूटा	0-50	गहरा हरा	इसमें वायु के कारण न्यूनतम प्रभाव।
2.	संतोषजनक	51-100	हरा	यहां पर संवेदनशील प्याक्टियों को सांस लेने में शोड़ी दिक्कत हो सकती है।
3.	मध्यम प्रदूषित	101-200	पीला	यहां पर इवसन तंत्र व हृदय जनित रीढ़ी से असित लीडों की सांस लेने में कठिनाई आ सकती है।
4.	खराब	201-300	केसरिया	यहां पर लम्बे समय तक रहने से अधिकांश प्याक्टियों को सांस लेने में दिक्कत होती है।
5.	अधिक खराब	301-400	हरला	यहां पर लम्बे समय तक रहने से इवसन तंत्र सम्पूर्ण रीढ़ उत्पन्न हो सकते हैं।



पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

No.	श्रेणी	माप	रंग	प्रभाव
6.	चिंताजनक	401-....	गहरा लाल	<p>स्वस्थ द्यक्षिति के श्वसन तंत्र पर प्रतिगुल प्रभाव एवं फैफड़े और हृदय सम्बन्धी रोगों से व्यक्ति द्यक्षिति के स्वास्थ्य पर धातुक प्रभाव होते होते हैं।</p>



SAFAR (System of air quality and Weather forecasting and Research)

वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान अनुसंधान प्रणाली

- पृथक् विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू की गई शब्दीय पहल जो बड़े शहरों के स्थान विशेष के समर्ग प्रदूषण स्तर और वायु की गुणवत्ता का मापन करता है।
- यह प्रणाली स्वदैरी रूप से उल्लंगित करतिवांछीय मौसम विज्ञान संस्थान पूर्ण द्वारा विकसित की गई है।
- यह एक विशाल LED Display है जो कलर कोडिंग के साथ 24x7 के आधार पर रियल टाइम रेयर क्वालिटी इंडेक्स (72 घण्टे के मौसम पूर्वानुमान के साथ) बताता है।



पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

Vayu air purifier

- इसे राष्ट्रीय पर्यावरण इंजिनियरिंग अनुसंधान संस्थान CSIR-NEERI नागपुर द्वारा विकसित किया गया है।

- इस शुक्रि में ठोस कणों को हटाने के लिये फिल्टर लगाये गये हैं तथा VOC एवं CO जैसी जहरीली ठोसों को हटाने के लिये सक्रीय कार्बन तथा ऐरोबैगनी प्रकाश के लैम्प लगाये गये हैं।



राजवायु (RAJ VAYU)

- राजस्थान सरकार ने जयपुर जीधपुर तथा उदयपुर की वायु की गुणवत्ता के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिये राजवायु नामक मीकाइल एप्लीकेशन लांच किया है।

- वायु गुणवत्ता मानीटर तथा मौसम को नापने वाले सैंसर की मदद से इस रूप पर जानकारी साझा की जाती है।

- यह रूप राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा भारतीय उल्लंघन कठिकाणीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM-पूर्ण) ने संयुक्त रूप से तैयार किया है।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

Q 1: वायु प्रदूषण क्या है? इसके कारण एवं इसके नियंत्रण के उपाय बताइये। Mark - 10

Q 2: राजवायु रूप क्या है? Mark - 2



Q 3: राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकोंका संहिता बनाइए? Mark - 10



जल प्रदूषण

जैव आवर्धन

- जीवस्थायी कार्बनिक प्रदूषक (POP) एवं अन्य प्रदूषण सामान्यतः जिनका अपघटन नहीं होता यदि वे खाद्य शृंखला में प्रवेश कर जाये तो उत्तरीतर पौष्ण स्तर में इनकी सांदर्भता बढ़ती जाती है इसे जैव आवर्धन कहते हैं।
- इन POP की सर्वाधिक सान्दर्भता खाद्य शृंखला के उच्च उपभोक्ता में होती है।



- जैव आवर्धन उन्हीं प्रदूषकों का होता है-
 - (1) जिनका शूद्धमजीवों द्वारा अपघटन नहीं होता।
 - (2) ये प्रदूषक जल में अद्युलनशील तथा वसा में घुलनशील होते हैं।
 - (3) ये प्रदूषक सामान्यतः जैविक रूप से सक्रिय होते हैं।

उदा. - DDT, पारा (Hg), ऐल्युमिनियम, ओयरन

कीटनाशक , पीड़िकनाशक , ऐल्डोसल्फान , ऐल्ट्रीन
फिनोलिक कम्पाइन , एल्कीन बैजीन सल्फोनेट
(ABS) / अपमाञ्जि

जैव संचयन

- पथविरता से खाद्य शृंखला के प्रभाग पौष्टि स्तर के जीवों में प्रदूषकों की मात्रा बढ़ना जैव संचयन कहलाता है।
- प्रदूषक खाद्य शृंखला में कैसे प्रवेश करते हैं यह इससे सम्बंधित होता है।



जैव आवधनि के प्रभाव

- पक्षियों में POP की सांकेतिक बढ़ने पर कैलरीयम उपापचारी क्रियाएँ प्रभावित होती हैं, जिससे पक्षियों में अण्डे का कवच कमज़ोर बनता है। जिससे पक्षियों की संख्या लंगातार कम हो रही है।
- गिरीषों की संख्या डाइबली फैनिक्स सौडियम (दर्द निवारक दवाई) के कारण कम हो रही है।
- POP से मनुष्यों में कैंसर , एलजी , रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होना तथा तंत्रिका तंत्र सम्बंधी रोग उत्पन्न हो सकते हैं।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

- Japan में Hg (मर्करी) के जैव-आबृति की वजह से मनुष्यों में मीना साता बीमारी हुई थी।



केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)

- पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरित एक वैधानिक संस्था है।
- इसकी स्थापना जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत की गई है।
- भारत में प्रदूषण नियंत्रण के हेतु में कार्यरित शील संस्था है।
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981


स्टॉक होम समझौता

- दीर्घस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों के उत्पादन तथा उपयोग को समाप्त या नियंत्रित करने के लिये वैश्विक स्तर पर स्टॉक होम समझौता 2001 में किया गया था। जो 2004 से प्रभावी हुआ।

- इसमें पहले 12 दीर्घस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों के उत्पादन व उपयोग को नियंत्रित किया गया था। बाद में इस सूची में और भी प्रदूषक शामिल किये गये।
- इन दीर्घस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है—

1. कीटनाशक

- एल्ड्रिन, क्लोरेन, ००१, एन्ड्रिन माइरेक्स, टौक्साफेन, एण्डोसलफान आदि।



2. औद्योगिक रसायन

- हैक्सा क्लोरी बैन्जीन, पीली क्लोरीनेटेड वाइ फिनाइल आदि।

3. उप उत्पाद

- पीली क्लोरीनेटेड, डाइब्रैजोफ्युरान्स आदि।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

रोटरॉडम समझौता (नीदरलैण्ट)

- पूर्व सूचना अनुमति प्रक्रिया

अभिसमय 1998

- इस समझौता का उद्देश्य खतरनाक रसायनों के बारे में सूचना के आदान-प्रदान द्वारा पर्यावरणीय अनुकूलता अनुसार फलका उपयोग करना।
- मनुष्य एवं पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाले रसायनों के व्यापार को नियंत्रित करने के लिए यह समझौता 1998 में किया गया था जो 2004 से प्रभावी हुआ।
- इसके अंतर्गत नियतिक देश नियति से पूर्व इन रसायनों के बारे में सम्पूर्ण सूचना आधारक लो उपलब्ध करवायी गई।
- हस्ताक्षरकर्ता देश नियंति कर सकते हैं कि समझौते में शामिल रसायनों के आधार की अनुमति देया इसे प्रतिवर्त्तित कर देया।
- इस समझौते में 52 रसायनों को वर्णित किया गया है।



सुपोषण (Eutrophication)

- सुपोषण एक क्रीक

शब्द है जिसमा अर्थ होता है-

- पर्याप्त पोषण।

- जलीय पारितंत्रों में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ने पर जलीय पारितंत्र की जैव विविधता का नष्ट होना, सुपोषण की स्थिति कहलाता है।
- सुपोषण के चरण

कृषि अपवाह, बिना उपचार किया सीविज प्रदूषण तथा उद्योगों से पोषक तत्वों (N, P, K) का जलीय निकाय में पहुँचना।



जलीय निकाय में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ना



फलस्वरूप कौवालों की अत्यधिक वृद्धि



कौवाल छलूम की स्थिति पैदा होना



कौवालों द्वारा जलीय पारितंत्र की सतह को ढकना



पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

↓
जल में प्रकाश का प्रवृत्ति स्थाना तथा घुलित O_2 की विसरण स्थाना।

↓
जल में स्थित जीवाणुओं तथा अन्य पादप प्लवकों की मृत्यु

↓
वायवीय जीवाणुओं द्वारा मृत कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिये जलीय पारितंत्र में घुलित ओक्सीजन का उपयोग

↓
जलीय पारितंत्र में घुलित O_2 की कमी

↓
घुलित O_2 की कमी से जलीय जीवों की मृत्यु

↓
जलीय पारितंत्र का विनाश।



सुपीषण के दुष्प्रभाव

1. सुपीषण के कारण जलीय पारितंत्र की जीव विविधता कम हो जाती है।

2. मृत जीवों के तल पर जमा होने के कारण उस

जलीय हेतु का कुछ वर्षों में दलाली धूमि में परिवर्तन हो जाता है अति सुपोषण झील का प्राकृतिक काल भवन (रजिंग) दशति है।

3. सुपोषण के कारण स्थानीय लोगों के लिये प्रेयजल स्त्रीत बढ़ते हो जाते हैं।

4. स्थानीय समुदाय को मिलने वाले खाद्य पदार्थ चार तथा अन्य रसायन भी बढ़ते हो जाते हैं।

5. सुपोषण के कारण जलीय निकायों में नौकायन स्वीकृत प्रभावित होता है जिससे पर्यटन सेवाएं कम हो जाती हैं।

सुपोषण की रोकथाम के उपाय

1. नदी, झील या तालाब के आस-पास के होन्हों में रसायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये उसके स्थान पर जैविक व कार्बनिक खाद्य का प्रयोग किया जाना चाहिये।



पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

२. घरों से निकलने वाले सीवेज से नाइट्रोजन तथा फासफेट को पूर्यकृत करने के पश्चात् नदी, झील आ तालाब में छोड़ा जाना चाहिये।
३. उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषित जल को उपचारित करने के पश्चात् ही नदी में छोड़ा जाना चाहिये।



जल प्रदूषण (Water Pollution)

- जल में बाहरी कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा लग्ने से जल के शौकिक, जैविक तथा शासाधिक संगठन में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जल प्रदूषण कहलाता है।
- केवल ०.१% अचुम्बियों के कारण ही घरेलू जल मानव उपयोग लायक नहीं रहता है।
- जल प्रदूषण की जाँच जल में उपस्थित धुलित O_2 की मात्रा के आधार पर की जाती है।
- जल में धुलित O_2 की मात्रा 8 mg/l/hr से कम है तो उसे प्रदृष्टि जल की श्रेणी में रखा जायेगा।
- यदि जल में धुलित O_2 की मात्रा 4 mg/l/hr से कम है तो उसे अत्यधिक प्रदृष्टि मात्रा जायेगा।
- डेफिनिथा, ट्राइट मष्टलिथँ तथा स्टोन फ्लाई (मवर्खी) का लार्वा स्वस्थ जल के सूचक हैं जबकि टायविफैक्स (रेनलिडा), काइटोनोमस लार्वा, ई-कीलाई सीविज फंगस, रुलज वर्म, एलड वर्म, प्रदृष्टि जल के सूचक हैं।



जल प्रदूषण मापने की विधियाँ

(1) BOD (Biological/Biochemical Oxygen Demand)

- जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिये वायकीय जीवाणुओं को जितनी O_2 की आवश्यकता होती है, उसे BOD कहते हैं।
- इसे $\text{mg O}_2/\text{L}^{-1}$ (मिलीभास ऑक्सीजन प्रति लीटर) से दर्शाया जाता है।
- यह कार्बनिक पदार्थ (जैव निष्कारणीय) के कारण हीने वाले जल प्रदूषण को मापने की विधि है।

(2) Chemical Oxygen demand (COD)

- जल में उपस्थित जैव निष्कारणीय तथा अनिष्कारणीय प्रदूषकों के अपघटन हेतु $K_2 Cr_2 O_7$ (पोटेशियम डाई क्रीमेट) को आवश्यक जल में छुलित O_2 की मात्रा, COD कहलाती है।
- यह भी जल प्रदूषण के मापन की विधि है।



→ रसायन (K_2CrO_7) द्वारा जैव निम्नीकरणीय तथा अनिम्नीकरणीय दोनों प्रकार के प्रदूषकों का अपघटन किया जाता है। जबकि वायवीय जीवाणुओं द्वारा केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का अपघटन किया जाता है।

उत्तः ८०० का मान ३०० की तुलना में हमेशा अधिक होता है। (एक ही स्रोत से प्राप्त जल के मामले में)

जल प्रदूषण के कारण



(1) घरेलु अपशिष्ट, वाहित मल और अपमार्जन

- घरेलु

अपशिष्ट तथा वाहित मल ३०० की मात्रा की बढ़ते हैं। जबकि अपमार्जन आदि पदार्थ सुपोषण का कारण है।

(2) औद्योगिक अपशिष्ट

- उद्योगी से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों में अनेक रसायन जैसे - सीसा, पारा, सल्फर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड आदि उपस्थित होते हैं।

इन रसायनों में जैव-आवधन की प्रवृत्ति होती है।

③ रसायनिक उर्वरक तथा कीटनाशक

- वर्षा जल के साथ ये उर्वरक तथा कीटनाशक तालाब आ झील में पहुँचकर सुपोषण तथा जैव आवधन का कारण बनते हैं।



④ तापीय प्रदूषण

- तापीय / नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों से निकलने वाला गम्भीर जलीय जीवों के लिये हानिकारक है।

⑤ समुद्रों में तेल का रिसाव जल में घुलित O_2 के विसरण जो रोकता है।

जल प्रदूषण के कारण होने वाले रोग एवं अन्य प्रभाव

- (1) पारे की विषाक्तता - मिनामाटा रोग
- (2) केडमियम की विषाक्तता - छटाई - छटाई
- (3) आसेनिक की विषाक्तता - छलौक फुट रोग
- (4) फ्लोराइड की अधिकता - फ्लोरोसिस
- (5) नाइट्रोट की विषाक्तता - छलू बैबी सिन्ड्रोम
(मैटहिमोब्लोबीनेमियां)
- (6) जीवाणु जनित रोग - हैंजा, टाइफाइड
- (7) विषाणु जनित रोग - हैपेटाइटिस A तथा E, पोलियो,
रोटा वायरस
- (8) प्रोटोजीआ जनित रोग - अमीबिएसिस
जिआडिएसिस
- (9) सूखा की उपादनता पर प्रतिकुल प्रभाव।
- (10) जल में घुलित O_2 की कमी।
- (11) जीव आवधन।
- (12) शुष्पोषण।



सीवेज उपचार (Sewage Treatment)

धौरेलुं वाहित मल का उपचार दो चरणों में किया जाता है-

(1) प्राथमिक उपचार

- इस उपचार के दौरान वाहित मल से कड़े तथा छोटे प्रदूषकों का फिल्ट्रेशन एवं अवसाधन द्वारा भौतिक रूप से अलग कर दिया जाता है।
- प्राथमिक उपचार के बाद इस प्रदूषित जल को द्वितीयक उपचार के लिये भेजा जाता है।


(2) द्वितीयक उपचार

- प्राथमिक उपचार के बाद इस प्रदूषित जल को कड़े वायवीय दैर्घ्यों से भेजा जाता है। जहाँ पर तेज गति से वायु को चंप किया जाता है तथा साथ ही साथ इसे धान्त्रिक रूप से ठिलाया जाता है।
- इसके कारण वायवीय सूक्ष्मजीवों की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है और ये सूक्ष्मजीवों इस पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का विघटन कर देते हैं।



पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

जिससे जल प्रदूषण रत् काफी लुट तक कम हो जाता है। तथा इस जल को पास के जलाशय में छोड़ दिया जाता है।



जलवायु परिवर्तन (Climate change)

जलवायु परिवर्तन से सम्बंधित मुद्दे

जलवायु परिवर्तन

- इसका तात्पर्य दीर्घकालिक मौसम के औसत अवस्थाओं में बदलाव से है।
- जलवायु परिवर्तन किसी विशेष दिन में मौसम का परिवर्तन नहीं है। यह दीर्घकालिक मौसम पैटर्न का संचयी परिवर्तन है।
- जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य पिछले 100 वर्षों में जलवायु में हुए परिवर्तन से है जो मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों के कारण होता है।


ठलोबल वार्मिंग

- पृथ्वी की सतह के पास और क्षीभमठल के बालवरण में तापमान की औसत बढ़ि है जो वैश्विक जलवायु पैटर्न में बदलाव के लिये औगदान करता है।
- ठलोबल वार्मिंग प्राकृतिक और मानव प्रेरित कारणों से हो सकती है।



हरित वृक्ष प्रभाव

- ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक रूप से होने वाली घटना हैं जो पृथक्की के निम्न वायुमण्डल को गर्म रखता हैं।
- यह जीवों को जीवित बनाये रखने हेतु उपर्युक्त तापमान उपलब्ध करवाता हैं।
- अधिक मात्रा में CO_2 तथा अन्य ग्रीन हाउस गैसों पृथक्की के वायुमण्डल में एक सीढ़ा आवरण बनाती हैं।
- जो सूर्य से आने वाली कम तरंगदैर्घ्य की प्रकाश तरंगों को वायुमण्डल में प्रवेश करने की है लेकिन पृथक्की की सतह से निकलने वाली अधिक तरंगदैर्घ्य की उष्मीय / पार्श्व / अवरक्त विभिन्नों को बाहर नहीं जाने देती बल्कि अवशोषित कर लेती है। जिससे वायुमण्डल तथा पृथक्की की सतह के तापमान में वृद्धि होती है और इसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है।




पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

- हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक घटना है जिसके कारण पृथकी का औसत तापमान 15°C है। यदि शीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो पृथकी का औसत तापमान -19°C होता।
- अतः प्राकृतिक हरित गृह प्रभाव पृथकी के लिए आवश्यक है लैजिन वर्तमान में मानव जनित कारणों से इसके प्रभाव में बढ़ि हो रही है। जिससे पृथकी के औसत तापमान में बढ़ीतरी हो रही है।
- शुक्र अण (Venus) पर वायुमण्डल में CO_2 की सांदर्भता 90% है। अतः वहा का औसत तापमान 447°C है।



हारित वृष्टि प्रभाव के कारण



Black Carbon

- यह वायुमण्डल में रथरीसोल या लीस कणों के रूप में पाशा जाता है जो इंधन के आंशिक दृष्टन से उत्पन्न होने वाला वायु प्रदूषक है।

- यह पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में योगदान करता है। अतिरिक्त तेलील वार्मिंग के प्रभाव को तीव्र करता है।


पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

- यह ध्रुवों या छलेश्वियर् वाले हीनों में बर्फ पर जमा हीने की अस्थिति में प्रकाश के परावर्तन को कम कर देता है।

Brown Carbon

- यह कार्बनिक रसरोसील का सर्वत्यापक घटक है।
- यह Black Carbon के अतिरिक्त वायुमण्डल में उपस्थित प्रकाश को अवशोषित करके तापमान में कम करता है।
- स्लौट - सूदा में उपस्थित ह्यूमस तथा प्राकृतिक तौर पर विद्युति हीने वाले कार्बनिक पदार्थ।

छलीबल वार्षिक में हीनवार योगदान



IPCC Report 2014 (Working)

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

चीन हाउस गैसों का वायुमण्डल में निवास समय

CH_4 — 12 वर्ष

CO_2 — 100 वर्ष

N_2O — 115 वर्ष

HFC_5 — 1-270 वर्ष

PFC_8 — 800-50,000 वर्ष

SF_6 — 3200 वर्ष



चीन हाउस प्रभाव की गैसों की उल्लंघन वार्षिक कामता (100 GRS)

CO_2 — 1

CH_4 — 21 times more (21 गुना ज्यादा)

N_2O — 310 times more

HFC_5 — 140-11700 times more

PFC_8 — 6500-9200 times more

SF_6 — 23900 - times more

वैश्विक कार्बन उत्सर्जन करने वाले देशों का घटना क्रम

1. चीन → 30 %

2. अमेरिका → 15 %

3. यूरोपियन यूनियन → 9 %

4. भारत → 7 %

5. क्षेत्र → 5 %


पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव


① वैश्विक उल्लंघन

- ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से वैश्विक उल्लंघन का प्रभाव बढ़ता है।
- यदि 100 वर्षों में पृथकी के औसत तापमान में 2°C की औसत वृद्धितरी होती है तो उस स्थिति को वैश्विक उल्लंघन माना जाता है।
- 20°C शताब्दी में पृथकी के औसत तापमान में 0.6°C की वृद्धितरी हुई है।

IPCC के अनुसार वर्ष 2010 तक पृथकी के औसत तापमान में संगीत वृद्धितरी (IPCC की Report)




लाल → यदि देशों ने सहयोग नहीं किया।
हरा → वर्तमान नीतियों का परिणाम
बीला → पेरिस समझौते के परिणाम



ठेलोबल वार्मिंग के प्रभाव

- ठेलोशियरों तथा हिम घौटियों के पिछलने में तेजी आयेगी।
- समुद्रों के जल स्तर में वृद्धि।
- वर्ष के पैला में कदलाव।
- गम्फ की लहर, बाढ़ तथा तूफान आदि घटनाओं में अत्यधिक वृद्धि हो जायेगी।
- प्राकृतिक आवासों के नुकसान के कारण कन्य जीवों की आबादी व्यापक रूप से विलुप्त हो जायेगी।
- विमारियों तथा महामारियों के प्रजोप में तेजी।
- समुद्री हैतों में प्रवाल भित्तियों का विर्जन हो जायेगा।
- समुद्रों के जल का तापमान तथा लवणता परिवर्तन से अनेक प्रजातियों के जीव विलुप्त हो जायेगी।



पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

जलवायु परिवर्तन से सम्बंधित महत्वपूर्ण वैश्विक सम्मेलन

स्टोकहोम सम्मेलन 1972

- पर्यावरण संरक्षण के लिये यह प्रमुख सम्मेलन आ। इसका आधिकारिक नाम "संयुक्त राष्ट्र का मानव पर्यावरण सम्मेलन (UNCHE) आ।

- इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप पर्यावरण संरक्षण के लिये UNEP (थूनाइटेड नेशन एनवार्डमीट प्रोग्राम) की स्थापना 1972 में की गई।



- संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण के लिये कार्य करने वाला यह प्रमुख संस्थान है जो सतत विकास के लिये पर्यावरणीय आवासों के अनुसार विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन को प्रोत्साहित करता है।

- UNEP का मुख्यालय केनिया की राजधानी नैरीबी में है।

- इस सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण के लिये स्टोकहोम धोषणा पन्न जारी किया गया था, जिसे पर्यावरण संरक्षण के होत्र का मैट्ट्रिकार्ट कहते हैं।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

- यह सम्मेलन 5 June को आरम्भ हुआ था ।
इसलिए मतिवर्ष 5 June को विश्व पर्यावरण दिवस
के रूप में मनाया जाता है।
- भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने
इसमें भाग लिया था ।

रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन 1992



- आधिकारिक नाम → संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं
विकास सम्मेलन (UNCED)
- इसमें 172 देशों ने भाग लिया था ।
- इस सम्मेलन के दौरान एक पृथ्वी सिङ्हासन को
अपनाया गया था जिसके अनुसार सभी देशों
की शाजनीतिक सीमाएँ अलग-अलग हो सकती
हैं, लेकिन पर्यावरण या जलवायु की हालिये
पूरी पृथ्वी एक है ।
- अतः यदि कोई एक देश जलवायु को बुझान
पहुँचाता है तो उसका प्रभाव अन्य देशों पर
भी होता है ।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

- इस सम्मेलन में निम्नलिखित महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किये गये -
 1. पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा पत्र।
 2. एजेंडा - 21
 3. बन सिहांत।
- इस सम्मेलन के महत्वपूर्ण दस्तावेज जो कानूनन वाद्यकारी बनाने के लिए हस्ताक्षर के लिये जारी किये गये।
 - (1) जैव विविधता अधिसमष (CBD)
 - (2) संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (UNFCCC)
 - (3) संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण शोभाम अधिसमष (UNCCD)

सतत विकास (Sustainable development)

- सतत विकास, विकास की बहु अवधारणा है जिसमें वर्तमान मानव पीढ़ी भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता किये जिन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें।




पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

- क्रन्तिलोड आयोग (पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग, 1983) की रिपोर्ट "हमारा साझा भविष्य" (1987) में आधिकारिक रूप से सतत विकास को परिभाषित किया गया।
- प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्रकृति की पुनर्निर्माण हामता का संरक्षण तथा आवी धीर्घों पर पर्यावरणीय जीविती को ओपने से बचने पर सतत विकास होगा।

एजेंडा-21

- यह सतत विकास से सम्बंधित संयुक्त राष्ट्र की कार्ययोजना है जो रियो सम्मेलन का परिणाम है। अर्थात् २१वीं शताब्दी में सतत विकास का एजेंडा।
- यह दस्तावेज कानून रूप से लोक्यकारी नहीं था।
- यह पर्यावरण की प्रभावित करने वाले उन मानवीय कार्यों का व्यापक रूप प्रिल है जो वैश्विक, बालद्रीय एवं स्थानीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ, देशों की सरकारों तथा स्थानीय सरकारों द्वारा किये जाने हैं।



पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

रजेन्टा - २। में ५० आध्यात्र हैं जिन्हें ५ बागों में
विभाजित किया गया है।

- (1) → आर्थिक तथा सामाजिक विकास के आधाम
- (2) → विकास के लिये प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण
एवं प्रबल्धन।
- (3) → प्रमुख समूह (अंतर्राष्ट्रीय, शब्दीय तथा रघानीय
स्तर पर कार्य करने वाले) की ज़िमिन।
- (4) → क्षियान्वयन के साधन। (सतत् विकास के)

सतत् विकास के आधाम



१. सतत् विकास आर्थिक रूप से व्यवहारिय होना
-याहिये।
२. पर्यावरण का संरक्षण होना -याहिये
३. सतत् विकास सामाजिक समानता लाने वाला होना
-याहिये।

सतत् विकास प्राप्ति के प्रयास

- मानव जनसंख्या को
पर्यावरण की वहन क्षमता तक सीमित रखना।

- तकनीकी विकास प्राकृतिक संसाधनों को प्रभावशाली

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

बताने हेतु हीना -घासिये ना कि उनके अत्यधिक दोहन के लिये ।

- गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत (कोयला, डीजल, पेट्रोल) के स्थान पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत (पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा) का निमंति करना ।
- सभी प्रकार के प्रदूषणों को कम करना ।
- प्राकृतिक रसायनों का उपयोग सूखावृक्ष के साथ करना ।

जोहानसवर्ग सम्मेलन - 2002



- आधिकारिक नाम: सत्तर विकास पर विश्व सम्मेलन ।
- उद्देश्य - रियो सम्मेलन 1992 में जारी किये गये एजेन्टा-21 की समीक्षा करने के लिये यह आयोजन किया गया था ।

- इस सम्मेलन में निम्नलिखित मुद्दों पर ध्वनि की गई ।

- ① जल संरक्षण
- ② शिक्षा
- ③ स्वास्थ्य


- ④ ऊर्जा
- ⑤ जैव विविधता

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

रियो + 20 (2012)

आधिकारिक नाम → संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास सम्मेलन (UNCSD)

- इसमें जारी किये गये दस्तावेज़ का शीर्षक - "द पश्चूचर वी वॉन्ट" था।
- रियो + 20 सम्मेलन में विश्व के राजनीताओं, निजी सेत्र के, और सरकारी संगठनों (NGO) तथा अन्य समूहों के हजारों प्रतिभागियों ने आग लिया। इसके दौरान गरीबी कैसे कम की जाए, सामाजिक समानता कैसे लायी जाए, जनसंख्या नियंत्रण, पर्यावरण का संरक्षण कैसे किया जाए आदि मुद्दों पर सहयोग की चर्चा की गई।
- रियो + 20 सम्मेलन में प्रमुख मुद्दों को दो भाँगों में कांटा गया।
 १. हरित अर्थव्यवस्था तथा गरीबी दूर करने के उपाय।
 २. अंतुलित एवं सतत विकास के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।



UNFCCC

- United Nation Framework Convention On climate change
- यह रियो सम्मेलन 1992 का सबसे महत्वपूर्ण एवं दृष्टिविज था। जिसका उद्देश्य पथविरण के साथ मानवीय हस्तक्षेप को नियंत्रित कर ग्रीन हाउस गैसों की सान्द्रता में कमी लाना आ।
- इसे 1992 में सदस्य देशों के लिए दस्तावार हैटु रखा गया जिस पर 50 पार्टीज (सदस्य देश) द्वारा अनुमोदित करने के बाद 21 मार्च 1994 से यह प्रभावी हुआ।
- वर्तमान में 196 देश (यूरोपियन यूनियन सहित) इसके सदस्य हैं।
- इसका सचिवालय बॉन (जर्मनी) में है।



पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

UNFCCC के महत्वपूर्ण अनुच्छेद

अनुच्छेद - 2


- वायुमोड़ल में ध्रीन हाउस गैसों की सांत्ता को उस स्तर तक परिवर्तन रखना जहाँ तक जलवायु परिवर्तन ना हो, खाद्य शृंखला पर रुकावा ना हो, तथा आर्थिक विकास होता रहे।

अनुच्छेद - 3(i)

- इसमें Common But Differentiated Responsibility (CBDR) के सिद्धांत को अपनाया गया। जिसके अनुसार जलवायु परिवर्तन को शोकने की जिम्मेदारी सभी राष्ट्रों की है लेकिन यह जिम्मेदारी विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों की अधिक है। क्योंकि जलवायु परिवर्तन के लिये विकसित देश जिम्मेदार हैं।

अनुच्छेद 4

- सभी सदस्य देश जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिये सामान्य प्रतिवृद्धि का नियरिंग करेंगे।



पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

-- इस समझौते के क्रियान्वयन के लिये प्रतिवर्ष सदस्य शब्दों की बैठक होती है, जिसे COP (conference of parties) कहा जाता है।

UNFCCC की COP

1. 1995 — COP 1 बनिनि (जर्मनी)
2. 1996 — COP 2 जैनेवा (स्वीटज़रलैंड)
3. 1997 — COP 3 क्योटो (जापान)

COP-3 on UNFCCC KYOTO

क्योटो प्रीटीकॉल 1997



- UNFCCC की COP-3 क्योटो (जापान) में आयोजित किया गया था।
- इसमें जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिये जो दस्तावेज जारी किया गया था, उसे क्योटो प्रीटीकॉल कहते हैं।
- यह प्रीटीकॉल औद्योगिक रूप से विकसित देशों को अन्तर्राष्ट्रीय गैसों के उत्सर्जन को कम

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

करने के लिये प्रतिबद्ध करता है।

- यह फरवरी 2005 से प्रभावी हुआ।

क्योंतो प्रोटोकॉल के प्रावधान



(1) अनुसूची A

→ इसमें उन 6 गैसों को रखा गया
जिनके उत्सर्जन को कम करने का
प्रयास करना है ये गैसे निम्न हैं-

CO_2 , CH_4 , N_2O , PFC, HFC, SF_6 (शीन हाउस गैस)

(2) अनुसूची B

- इसमें Annex I में शामिल देशों के
लिये शीन हाउस गैसों के उत्सर्जन
का कीटा नियन्त्रित किया गया।

(3) Annex I (अनुसूची I)

- इसमें औद्योगिक रूप से
विकसित देश तथा जिनकी अर्थव्यवस्था लैक्रमण
से शुरू रही है और साथ ही साथ ये OECD
के सदस्य हैं।

EIA देश - वाल्टिक देश, सौवियन र्षय से अलग हुये
देश तथा कुछ मह्य एवं पूर्वी यूरोपीय
देश सम्मिलित हैं।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

- इन देशों को अन्न टाउस गैसों के उत्सर्जन में
कटौती करना बाह्यकारी है।

OECD - Organization for Economic Co-operation
and Development

(4) Annex II (अनुसूची-II)

- इसमें OECD के बीं
सदस्य देश शामिल हैं जो औद्योगिक रूप से विकसित
हो चुके हैं।

- इन देशों को अपने देश में अन्न टाउस गैसों के
उत्सर्जन में कटौती के साथ-साथ विकासशील
देशों तथा जिनकी अर्थव्यवस्था संक्रमण से गुजर
रही है, ऐसे देशों में जलवायु परिवर्तन के शामन
(मीटिंग्स) तथा अनुकूलन टेक्नु वित्तीय सहायता
देनी है।

(5) Non-Annex I

- इसमें विकासशील देशों को
समीलित किया गया है।

(भारत, चीन, नाइजील, दक्षिण अफ्रीका)



- (6) क्योंकि प्रोटोकॉल तक औद्योगिक देशों तथा
थूरोपियन द्वन्द्वन को उनके अन्न टाउस
गैसों के उत्सर्जन को 1990 के स्तर से

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी


ऑसत 5% कम करने का लक्ष्य निर्धारित करता है।

और यह प्रथम प्रतिबन्धित अवधि 2008 से 2012 के द्वारा रखेगी।

⑦ इसमें यह प्रावधान किया गया कि जब विश्व के कुल उत्सर्जन का 5.5% उत्सर्जन करने वाले देश इस समझौते पर हस्तांक करेंगे तथा इसका अनुमोदन करेंगे तब से यह प्रभावी होगा।

⑧ विकासशील देशों पर खलवायु परिवर्तन का प्रभाव कम करने के लिये अनुकूलन फंड की स्थापना का प्रावधान किया गया है। (इसकी स्थापना 2001 में हुई है।)

- इस फंड में com के तहत आर्थिक सहायता की जाती है।
- क्योंकि प्रीटोकॉल की द्वितीय प्रतिबन्धित अवधि 2012 से 2020।
- जापान, ब्यूजीलैंड, रूस आदि देश क्योंकि प्रीटोकॉल की द्वितीय प्रतिबन्धित अवधि से पीछे हट गये।
- 2012 में कनाडा पूरी तरह से क्योंकि प्रीटोकॉल से बाहर हो गया।



- अमेरिका ने इस समझौते पर हस्ताहार तो किये लेकिन इसका अनुमोदन नहीं किया।



क्योटो प्रोटोकॉल को लचीला कराने के लिये प्रावधान

1. IET (International Emission Trading)

(अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार)

- क्योटो प्रोटोकॉल के तहत सभी औद्योगिक देशों के लिये उत्सर्जन सीमा का निर्धारण किया गया।
- इस उत्सर्जन सीमा को AAU (Assigned Amount Unit) कहते हैं।

1 AAU = 1 टन कार्बन उत्सर्जन

- AAU एक मानर से उस देश की कार्बन क्रेडिट तुलना में जिसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जा सकता है।
- वह देश जिसका कार्बन उत्सर्जन उसकी तथ सीमा से कम है तो वह अपने बचे हुये कार्बन क्रेडिट को उन देशों को बेच सकता है जिनका उत्सर्जन उनकी तथ उत्सर्जन सीमा से अधिक है।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

(2) JIM (Joint Implementation Mechanism)

- यह एक परियोजना आधारित व्यवस्था है।
- इसके अंतर्गत एक Annex-I देश किसी दूसरे Annex-I देश में कार्बन उत्सर्जन को कम करने वाली परियोजना में या कार्बन अवशोषण करने वाली परियोजना में निवेश कर सकता है।
- इन परियोजनाओं के माध्यम से क्षति किये गये कार्बन क्रेडिट इन देशों के माध्यम उनके योगदान के अनुसार वितरित कर दिये जाते हैं।



(3) CDM (Clean Development Mechanism)

- यह भी एक परियोजना आधारित पद्धति है।
- इसके अंतर्गत एक Annex-I देश दूसरे Non-Annex-I देश में कार्बन के उत्सर्जन को कम करने वाली परियोजना या अवशोषण करने वाली परियोजनाओं में निवेश कर सकता है।
- इन परियोजनाओं के माध्यम से क्षति किये गये कार्बन क्रेडिट उन देशों के माध्यम उनके योगदान


के अनुसार वितरित कर दिये जाते हैं।

- COM प्राप्तकार्त देश चीन (60%), भारत (14%) ब्राजील (7%)।

COP-13/MOP-3, वाली (इण्डोनेशिया) 2007

- इस सम्मेलन के दौरान जो समझौता हुआ उसे वाली शीड मैप / वाली एक्सन प्लान के नाम से जाना जाता है।
- इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2012 में क्योटो प्रोटोकॉल की अवधि समाप्त होने के बाद एक नये समझौते को लागू करता था।
- इह नया समझौता वर्ष 2009 में कोपीनहेगन में होने वाले सम्मेलन में प्रस्तुत किया जायेगा।
- कोपीनहेगन में प्रस्तुत किये जाने वाले समझौते की आम राय के बारे में की जाने वाली वार्ता के लिये वाली सम्मेलन में एक संपरेखा तैयार की गई जिसे वाली शीड मैप कहते हैं।

उद्देश्य - (1) जलवायु परिवर्तन के लिये जिम्मेदार श्रीन हाउस हैसों के उत्सज्जन को कम करने




पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

के लिये विश्व के देशों को प्रोत्साहन देना।

- 2012 के पश्चात् की रणनीति तथा नियमों हेतु सहयोगात्मक कार्य योजना का नियंत्रण करना।
- विकासशील देशों पर कुछ उत्सर्जन प्रतिबंध लागू करना।



परिणाम

- (1) 2012 के पश्चात् लागू होने वाले जलवायु परिवर्तन समझौते की 2009 तक अंतिम रूप होने पर वैश्विक सहमति वर्ती।
- (2) अंतर्राष्ट्रीय फोटो को लांच किया गया।
- (3) UN REDD पर सहमति वर्ती।
↓
(The United Nation Programme on Reducing Emission from Deforestation and forest degradation)



पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

भविष्य में किये जाने वाले जलवायु परिवर्तन के समझौते के लिये 4 स्तरों प्रमुख तौर पर माने जायेगे -



COP-15/MOP-5 कोरिन्हैरन (डेलमार्क), 2009


- इस सम्मेलन में USA ने यह मांग की, कि काबिन उत्सज्जि कटौती के लिये विकासशील देशों पर भी कानूनी वाद्यमारी समझौता लायू किया जाना चाहिए। विकासशील देशों ने इसका विरोध किया तथा BASIC (ब्राजील, दक्षिण-अफ्रीका, भारत, चीन) नामक संगठन बनाया।
- भविष्य में होने वाले सम्मेलनों में BASIC देश अपनी बात सामूहिक क्षप से रखेंगे इस बात पर सहमति बनी।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

- विकसित तथा विकासशील देशों के मध्य उत्पन्न मत भैंडों के कारण इस सम्मेलन के कौरान क्योंतो प्रीटोकॉल की द्वितीय प्रतिवद्धता अवधि से सम्बंधित कोई निर्णय नहीं हो सका।
- इस सम्मेलन के अन्त में USA तथा BASIC देशों के मध्य एक समझौता हुआ (जिसे कोपेन हेगन समझौता (कोपेन हेगन Accord) कहा जाता है।

कोपेन हेगन समझौते के निम्नलिखित प्रावधान थे


- इसमें जलवायु परिवर्तन को एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या माना गया अतः इसका सामूहिक प्रयासों से हल निकालना।
- जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को रोकने के लिये वैश्विक तापमान वृद्धि को सदी के अंत तक 2°C तक ही सीमित करने का निर्णय लिया गया।
- सभी विकसित देश 2020 तक अपनी कार्बन



उत्सर्जनि सीमाओं निर्धारित करके लागू करेंगी।
तथा वह उन पर कानूनन वाह्यकारी होगी।

- सभी विकासशील देश भी 2020 तक अपनी कार्बन उत्सर्जनि सीमाओं निर्धारित करके लागू करेंगे तथा वह उन पर कानूनन वाह्यकारी नहीं होगी।

COP-16/MOP-6 2010 (कोनकून, मैक्सिको)

- इस सम्मेलन के दौरान विभिन्न देशों द्वारा विकासशील देशों को 2010 - 2012 के बीच 30 अरब डॉलर सहायता देने के लिये सहमति बनी।
- इसके लिये अन्तर्राष्ट्रीय क्लाइमेंट फंड (GCF) की स्थापना की गई। 

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

COP-18 / MOP-8 2012 (दोहा, कतर)

- इस सम्मेलन के दौरान जो घोषणा पत्र जारी किया गया, उसे दोहा क्लाइमेट गेट के नाम से जाना जाता है।
- इस सम्मेलन के दौरान क्योंतो प्रौद्योगिकी की समय सीमा + Jan 2013 से Dec 2020 तक बढ़ा दी गई। जिसे द्वितीय प्रतिक्रिया अवधि कहते हैं। (लैंगिन यह प्रभावी नहीं हो सकता)
- इस सम्मेलन में यह निर्णय किया गया कि एक नया वैश्विक जलवायु परिवर्तन समझौता किया जायेगा जिसमें 2015 तक सभी देशों को जीड़ा जायेगा तथा यह 2020 के बाद लागू होगा।
- ग्रीन क्लाइमेट फॉड को कहिंच कीरिया के इंचियोन में स्थापित करने का निर्णय लिया गया।



पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

Q : जैव आवधन क्या है ? समझाइये ⑤


Q : जैव संचयन की परिभाषा ②

Q : शुष्ठीकरण क्या होता है इसके प्रभावों का वर्णन करो ⑩

Q : जल प्रदूषण मापने की विधियों का संक्षिप्त वर्णन करो ⑤

Q : जल प्रदूषण की वजह से होने वाली बीमारियों के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये ? ⑤

Q : जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय ⑤



पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

COP-19/MOP-9 (वार्सा, पोलैंड) 2013

- इस सम्मेलन के दौरान विकासशील देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले नुकसान (loss and damage) का मुद्दा उठाया गया।
- इस सम्मेलन में AOSIS (Association of Small Island States) द्वारा जलवायु परिवर्तन से हो रहे नुकसान के बदले विकसित देशों से वित्तीय मुआवजे की मांग की तथा loss and damage की जलवायु परिवर्तन वार्ता के पाँचवे सत्रम्
के स्पष्ट मैं शामिल करने की मांग की गई। परंतु विकसित देशों ने दोनों मांगों मानने से इनकार कर दिया।
- इस सम्मेलन के अन्त में 'Loss and damage' के मुद्दे पर वार्सा व्यवस्था स्थापित की गई।
- इसके तहत विकसित देश विकासशील देशों को निम्नलिखित सुविधाओं उपलब्ध करवायेगे।
 - (1) तकनीकी सहायता (Technical Support)
 - (2) पूर्व चेतावनी प्रणाली (Early warning System)



- (3) आपातकालीन सहायता (Emergency help)
- (4) जौखिम का बीमा (Insurance of Risk)

COP-21/MOP-11, पेरिस (फ्रांस) 2015

- UNFCCC के इस सम्मेलन में जो समझौता हुआ उसे पेरिस समझौता / पेरिस Accord / पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता कहा जाता है।
- इसमें 196 देशों के प्रतिनिधियों तथा शूरूपियन थूनियन ने भाग लिया था।
- इस सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य
 - वैश्विक तापमान में बढ़िया को 2°C तक रोकना।
 - जलवायु परिवर्तन के खतरे एवं प्रभाव को जम करना।
 - जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से निपटने के लिये क्षमता विकासित करना।
 - कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिये वित्तीय सहायता देना।



पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

- इस सम्मेलन में निम्न प्रावधान किये गये-

(1) INDC (Intended Nationally Determined Contribution)

- सभी सदस्य देशों अपने आपने आपने छात्र टीक्सी के उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों का निष्पत्ति वैश्विक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुये करेंगे।
- यह सभी लक्ष्य सदस्य देशों पर कानूनन बाध्यकारी होंगे।

(2) वैश्विक स्टॉकटैक

- यह INDC के लक्ष्यों की समीक्षा का प्रावधान है। यह प्रक्रिया 2023 से आरम्भ होगी।
- इसके तहत INDC में तथा किये गये लक्ष्यों की UNFCCC समिवालय में रिपोर्ट करना होगा।
- सभी सदस्य देशों द्वारा तथा किये गये लक्ष्यों तथा उनकी प्राप्ति के लिये किये गये प्रयासों की समीक्षा होगी।



- प्रति 5 वर्ष काद यह समीक्षा पुनः होगी तथा आगामी लक्ष्य पूर्ववर्ती लक्ष्यों से अधिक होगी।

(3) दूरगामी लक्ष्य (Long-Term Goal)


- 21वीं सदी के अन्त तक पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि की पूर्व औद्योगिक स्तर से 2°C तक सीमित करना होगा।

- द्वीपीय देशों द्वारा माँग की गई कि इस तापमान वृद्धि की 1.5°C तक रोका जाये लेकिन विकसित देशों ने (सअंदी अरब) इसे मुश्किल घोषिया। क्योंकि इस लक्ष्य की प्राप्ति Net Zero Emission की स्थिति पर ही संभव है।

- अतः लक्ष्य 2°C तक ही रोकना है परंतु प्रयास 1.5°C तक ही रोकने के लिये किये जायेंगे।

(4) तकनीकी और वित्तीय सहायता

- 2010 से प्रस्तावित GCF के तहत विकसित देश विकासशील देशों की प्रतिवर्ष 100 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता होगी।



पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

- २०२५ तक अह सहायता जारी रहेगी। इसके पश्चात् नये लक्ष्य स्थापित किये जायेंगे।
- विकसित देशों द्वारा पूर्व घेलावनी मौजावी, आपातकालीन मदद तथा रक्तरे (जौष्ठिम) का बीमा जैसे प्रावधान किये जायेंगे।
- २२ अप्रैल (पृथ्वी दिवस) २०१६ से २१ अप्रैल २०१७ तक विश्व के ५५ देशों द्वारा, जो कुल कार्बन उत्सर्जन का ५५% उत्सर्जन करते हैं, के ऐस्टाक्षर होने पर यह समझौता मौजावी होगा।
- नवम्बर २०१७ से यह समझौता मौजावी हो गाया।



भारत का INDC

- भारत ने INDC के तहत २००५ के उत्सर्जन स्तर से २०३० तक GDP की उत्सर्जन गहनता में 33-35% कटौती करने की घोषणा की है।
- भारत ने अपनी आजि निर्भरता को कौथली से कम करके नवीकरणीय संसाधनों पर जीर्दिया है तथा २०३० तक गैर जीवाश्म इच्छित घर

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

40% ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। और इसीलिये भारत के अंतर्राष्ट्रीय और समृद्ध बनाने की छोषणा की थी।


- भारत ने बनावरण बूटि (2030 तक) 2.5-3 अरब टन CO_2 का संग्रहण का लक्ष्य रखा है।

COP-23/MOP-13 (वॉन, जर्मनी) 2017

- इस सम्मेलन की अध्यक्षता फ़ीज़ी के PM ने की थी।

- इस सम्मेलन में पेरिस समझौते पर सहमति बनाने के लिये "तालानाओं वार्ता" आरम्भ करने का नियम लिया गया।

- तालानाओं वार्ता का तात्पर्य है - "आपसी विचार विमर्श द्वारा सहमति बनाना।"




COP-24/MOP-14 (केटोविच, पोलैंड) 2018

- इस सम्मेलन में पेरिस समझौते को लागू करने पर सहमति बनी।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

- पेरिस अमलोंते के क्रियान्वयन के लिये नियम काथडों से सम्बन्धित नियम पुस्तिका को अपनाया गया।



COP-25/MOP-15 (Madrid, Spain) 2019

COP-26/MOP-16 (Glasgow, United Kingdom) 2021

Date - 31 Oct. - 12 Nov. 2021

उद्देश्य

- (1) नेट शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य सन् 2050 तक प्राप्त करना तथा तापमान वृद्धि को 1.5°C तक रोकना।
- (2) पेरिस नियम पुस्तिका को आन्तिम क्षप दिया गया।
- (3) प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जायेगा।
- (4) विकसित राष्ट्र अपने 100 अरब डॉलर की सहायता के बादे को पूरा करेगे।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

उल्लेखन मिशन Pledge

- विश्व के 103 देशों ने जिसमें 15 समुख मिशन उत्सर्जन देश शामिल हैं। सभी ने वैश्विक मिशन शपथ ली है जिसमें प्रावधान किया गया है कि सन् 2030 तक 30% मिशन का उत्सर्जन कम करेंगे तथा सन्दर्भ वर्ष 2020 की रखा गया है।

- भारत की तरफ से इस सम्मेलन में पंचामूल की घोषणा की गई।
- सन् 2030 तक -



- (1) भारत अपनी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता 500 गीगावाट (GW) तक बढ़ायेगा।
- (2) भारत की कुल ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% भाग नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरा किया जायेगा।
- (3) GDP उत्सर्जन तीव्रता में 4.5% की कमी की जायेगी।
- (4) 1 अरब टन अतिरिक्त CO_2 का अवशोषण किया जायेगा।
- (5) नेट शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य भारत द्वारा सन् 2070 तक प्राप्त कर लिया जायेगा।

COP-27/MOP-17

✓ 2000105A

Nov. 2022

राम अल बीर (मिस्ट्र)

जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (IPCC)


Intergovernment Panel on
climate change

- IPCC की स्थापना 1988 में UNEP और WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा की गई थी। और बाद में संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा द्वारा इसका समर्थन किया गया था।
- IPCC की रिपोर्ट वैज्ञानिक, तकनीकि तथा सामाजिक तथा आर्थिक घटनाओं को शामिल करती है। जिसमें मानव जनित जलवायु परिवर्तन के कारण अद्भुत कुलन तथा शमन के विकल्प जिस प्रकार जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। इसकी वैज्ञानिक व्याख्या करता है।
- IPCC मूल रूप से शोध नहीं करता है तथा नहीं जलवायु परिवर्तन तथा नहीं उससे सम्बंधित घटनाओं की निगरानी करता है।



पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

- IPCC द्वारा आकलन तथा विशेष रिपोर्ट जारी की जाती है। अब तक 6 आकलन रिपोर्ट प्रकाशित की जा चुकी हैं।
 - ① 1990
 - ④ 2007
 - ② 1995
 - ⑤ 2014
 - ③ 2001
 - ⑥ 2021 में।
- 2007 की रिपोर्ट के लिये IPCC को विश्व शांति का नींवेल पुरस्कार दिया गया था।
- भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉ. आर. के. पन्होरी लम्बे समय तक IPCC के अध्यक्ष रहे हैं।
- IPCC की पांचवीं रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण Ecological Overshoot की स्थिति है अर्थात् भृत्यि द्वारा एक वर्ष के लिये जितने संसाधन निर्मित किये जाते हैं उनका उपयोग हमारे द्वारा + वर्ष से पहले ही कर लिया जाता है।
- इलीकल फुट प्रिन्ट नेटवर्क (NGO) द्वारा Earth Overshoot Day की गणना की जाती है।



ACID RAIN (अम्ल वर्षा)


- वर्षा वर्षा जो अम्लीय प्रकृति की हो, उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं।
- जब सल्फर के ऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायुमण्डल में उपस्थित जलवाष्प के साथ Rx^n करते हैं तो अम्लीय वर्षा का निमाण होता है।
- अम्लीय वर्षा का PH 5.6 से कम होता है।
- अम्लीय वर्षा (जमाव) दी प्रकार का होता है।

(1) ग्रीला जमाव (Wet deposition)

- अगर अम्ल धरती पर वर्षा, कोहरे, या बफ के रूप में आता है तो इसे ग्रीला जमाव कहते हैं।

(2) शुष्क जमाव (Dry deposition)

- अगर अम्ल नाइट्रेट या सल्फेट शुक्त धूल कणों के साथ पृथक पर जमते हैं तो इसे शुष्क जमाव कहते हैं।




- अम्लीय वर्ष में H_2SO_4 अम्ल तथा HN_0_3 अम्ल का अनुपात ७:३ होता है।
- अम्लीय वर्ष में कुछ मात्रा में कॉर्बेनिक अम्ल (C_6H_5OH) भी होता है।
- अम्लीय वर्ष में सल्फेट, नाइट्रेट, अमोनियम और हाइड्रोजन के आयन भी शामिल होते हैं।

अम्लीय वर्ष के दुष्प्रभाव



- ① अम्लीय वर्ष से मृदा की PH कम हो जाती है जिसके कारण मृदा की उर्धा शव्विति कम हो जाती है।
- ② अम्लीय वर्ष से नदी, झील तथा तालाब आदि की अम्लीयता बढ़ जाती है जिससे जलीय जीवों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है।
- ③ अम्लीय वर्ष से ऐतिहासिक इमारतों को भी तुकासान पहुंचता है। तथा विशेष रूप से ताजमहल को क्योंकि यह संगमरमर ($CaCO_3$) से बना है।




Ozone Layer Depletion

ओजीन अवक्षय

- ओजीन परत क्षरण

- ओजीन (O_3) एक प्राकृतिक जटिली
गैस है जो ऑक्सीजन के तीन परमाणुओं से मिलकर
बनी होती है।
- ओजीन वायुमण्डल की दो परतों में मिलती है।
- क्षीभमण्डल में उपस्थित ओजीन हमारे लिए धातु
है। क्योंकि यह वायु को प्रदूषित करती है तथा
रक्षणा बनाने में सहायता है। जो रक्षण तंत्र के
लिये हानिकारक होता है।
- लैमिन समताप मण्डल में यह सूर्य की प्रकाश
किरणों के साथ आने वाली प्रेरकीयता विकिरणों
(UV-B) को अवशोषित करके पृथ्वी के लिये
सुरक्षा करनाती है। अतः समताप मण्डल
की ओजीन हमारे लिए लाभदायक है।



पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

- समताप मण्डल में (लोगनग 16-25 km के बीच) ओजोन की सांकेतिक अविक्षय होती है अतः इसे ओजोन परत कहते हैं।

- ओजोन परत की मोटाई डीव्हेसन इबाई में मापी जाती है।

$$1 \text{ DU} = 2.69 \times 10^{20} \text{ O}_3 \text{ molecule/m}^3$$

$$1 \text{ DU} = 1 \text{ PPb} (\text{ Part Per billion})$$

- ओजोन परत की मोटाई का मापन निम्न उपकरणों द्वारा किया जाता है।

(1) Dobson Spectrophotometer

(2) The filter Ozonometer

(3) Total Ozone Mapping Spectrometer

(Nimbus - 7 उपग्रह)

↳ NASA


ये तीनों उपग्रह Nimbus satellite में लाए हुए थे

- यदि समताप मण्डल में ओजोन की सांकेतिक 220 DU से कम हो, तो इसे ओजोन परत में छेद कहते हैं।



पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

- अन्टार्कटिका (दक्षिण ध्रुव) के ऊपर ओजोन परत में हैदर अगस्त के अंत से अक्टूबर के प्रारम्भ में दिखाई देता है।
- उतरी गोलार्द्ध में उतरी ध्रुवों पर ओजोन परत की सान्द्रता में सर्वाधिक कमी मार्च-अप्रैल के महीनों में आती है।
- ओजोन की मात्रा सुकृत ४ बजे से बढ़ना तथा सांयं ६ बजे से घटना प्रारम्भ होती है।
- ओजोन के केन्द्रों तथा छूटों की प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से चलती रहती है। इन दोनों क्रियाओं से ओजोन की निश्चित, सान्द्रता बढ़ी रहती है।
- पिछले वर्षों में CFC तथा अन्य हैलोजन का उपयोग बढ़ने से O₃ के नष्ट होने की प्रक्रिया बढ़ गई है जिससे O₃ की सान्द्रता में कमी हुई है।






ओजोन परत क्षरण के कारण

(1) CFC_s

- इसके विशेष गुणों जैसी ज़ोगरीदामता, अच्छलनशीलता, कम विषाक्तता तथा रासायनिक स्थिरता के कारण इसका व्यापक रूप विविध उपयोग है।

- इसका उपयोग फ्रीज में प्रशीतक के रूप में, ऐरोसोल श्प्रे में, प्रणीदन में, प्लास्टिक उद्योग में फॉमिंग एंजेन्ट के रूप में, आग बुझाने वाले पदार्थी के रूप में, ड्लीवड्रीनिक तथा धात्विक पदार्थी की सफाई के लिये प्रयोग किये जाने वाले पदार्थ के रूप में तथा औजन को छोड़ रखने वाले पदार्थी के निमित्त के लिये किया जाता है।



- इस प्रक्रिया में एक Cl⁻ परमाणु एक लाख O₃ अणुओं को सकारा की सहायता से विरुद्धान्वारा O₂ में बदल देता है।



२. नाइट्रोजन ऑक्साइड
३. ओमीन युक्त औंगिक
४. H_2SO_4 अम्ल अणु
५. CCl_4




ओजीन परत क्षय में ध्रुवीय समताप मठलीय वादलों की शूमिका

- HCl तथा $ClONO_2$ (क्लोरीन नाइट्रेट) सक्रिय क्लोरीन आयन के अण्डार होते हैं। तथा आपस Rx^n करके क्लोरीन आयन (Cl^-) मुक्त करते हैं।
- सामान्यतः HCl तथा $ClONO_2$ के मध्य Rx^n बहुत घीमी होती है, लेकिन ध्रुवीय समताप मठलीय वादलों की उपस्थिति में यह Rx^n तैब हो जाती है, जिससे अधिक क्लोरीन आयन मुक्त होते हैं जो ओजीन परत के क्षरण में भाग होते हैं।

- समताप मॉडलीय लोदल न केवल बलीरीन आथन मुक्त करवाते हैं बल्कि नाइट्रोजन ऑक्साइड का भी अवशोषण करते हैं।
- यदि नाइट्रोजन ऑक्साइड कम हो जाती है तो बलीरीन मीनी ऑक्साइड ज्यादा मात्रा में मुक्त रहती है जिससे ओजोन परत के क्षरण में तेजी आती है।

ओजोन परत क्षरण के प्रभाव




- ओजोन परत की मोटाई में कमी के कारण पृथ्वी की सतह तक परावेंगनी - की विकिरणी अधिक मात्रा में पहुँचती है जिनका मानव स्वास्थ्य, जंतुओं, पादपों, सूक्ष्मजीवों तथा उपयोगी सामग्रियों एवं वायु की शुणवता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है -

① इसके द्वारा मनुष्यों में नेत्र रोग, त्वचा के सर तथा अन्य संक्रामक रोगों में वृद्धि होती है।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

- ② पराबैंगनी - B विकिरण सूक्ष्म जीवों के आनुवांशिक पदार्थ (DNA) को दुर्जन्मान पहुँचाती है।
- ③ पादपों की विकासात्मक क्रियाएं इनके द्वारा प्रभावित होती हैं।
- ④ UV-Rays पादप प्लावकों में गतिशीलता को प्रभावित करती हैं जिससे इन जीवों की जीवन दर बहुत कम हो जाती है।
- ⑤ इन विकिरणों द्वारा स्थलीय तथा जलीय जीव भू-रासायनिक घटकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- ⑥ कृत्रिम बहुलक, व्यवसायिक हित की सामग्रियाँ तथा अन्य उपयोगी पदार्थों पर UV-Rays नकारात्मक प्रभाव डालती हैं।




ओजोन परत का नियंत्रण

विधन सम्मेलन 1985

- इस सम्मेलन में ओजोन परत के क्षय को शोकने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रशासों की रूप रेखा तैयार की गई थी।
- नैमिन यह CFC के उपयोग को कम करने के लिये कानूनी रूप से वाह्यकारी समझौते की व्यवस्था नहीं करता है।

मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987

- ओजोन परत का करने वाले पदार्थ के उत्पादन तथा उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिये (जिससे पृथ्वी की ओजोन परत को सुरक्षित रखा जा सके) कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में जो समझौता हुआ, उसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं।



पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

- 16 Sep. 1987 को इसे हस्तांक के लिए जारी किया गया था। इसलिये 16 Sep. को विश्व औजान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- यह प्रीतीकॉल 1 Jan. 1989 से प्रभावी हुआ था।

मॉट्रिथल प्रीतीकॉल के प्रावधान




- इस समझौते के तहत सभी सदस्य देशों को CFCs के उपयोग तथा उत्पादन को 1906 के स्तर से अधिक नहीं करना है।
- अब 1998 तक CFCs का उत्पादन एवं उपयोग सभी सदस्य देश आधा कर देंगे।

कोपीन हैगन समझौता 1992


- इसके तहत विकसित एवं विकासशील देशों के लिये CFCs के उपयोग की समय सीमा को नियन्त्रित किया गया ।

- विकसित देश सन् 2000 तक CFCs के उपयोग को पूर्णतः बंद कर देगे ।
- विकासशील देश CFCs के उपयोग को सन् 2010 तक बंद कर देगे ।
- भारत ने सन् 2008 से CFCs को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है ।




किंगाली समझौता 2016

- यह मान्द्रिथल प्रोटोकॉल का शब्दोधन है। इसका उद्देश्य HFCs के उत्पादन तथा उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करना है।
- यह समझौता सदस्य देशों के लिये कानूनी रूप से बाध्यकारी है।
- HFCs का उपयोग 1990 के दशक से 03 दशकों के विकल्प के रूप में किया जा रहा है लेकिन यह वैश्विक उठाता के लिये भी महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेदार है।
- अदि इसके उपयोग को नियंत्रित कर लिया जाए तो सन् 2100 तक विश्व के औसत तापमान में वृद्धि को 0.5°C कम किया जा सकता है।
- यह समझौता 1 Jan. 2019 से प्रभावी हुआ।



HFCs


- HFC एक रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है।
- इसका उपयोग फ्रिज, AC, फॉम उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, कीटनाशक तथा प्रशीतिक के रूप में मुख्यतः किया जाता है।
- HFCs ओजोन परत का क्षय नहीं करता है लेकिन वैश्विक उष्णता का प्रभाव CO₂ की तुलना में हजारों गुना अधिक है।
- किंगाली समझौते के तहत सभी देशों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया।



समूह	श्रेणी	स्तर	से प्रारंभ	%	अवधि	कटौती
1 st	विकासित एवं समृद्ध देश USA, UK, EU	2011-13	2019	+5%	2036	85%

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

समूह	शोधी	स्तर	से प्रारंभ	%	अवधि	कटौती
2 nd	उमरी हुई अश्वियवस्था चीन, बाजाल द. अफ्रीना	2020-22	2024	20%	2045	80%.
3 rd	विनासरलील तथा गर्भ जलवायु दैरो भारत, पाक. ईरान, सऊदी अरब	2024-26	2028	15%	2047	85%.




CFCs (ब्लौरो फ्लौरो कार्बन)

— यह उच्च औजोन क्षयकारी होने के साथ-साथ ठलीबल वार्मिंग की हामता से मुक्त होती है।

HCFCs (हाइड्रो ब्लौरो फ्लौरो कार्बन)

— यह निम्न औजोन क्षयकारी है जबकि उच्च ठलीबल वार्मिंग की हामता से मुक्त है।



HFCs (हाइड्रो फ्लौरो कार्बन)

— यह शून्य औजोन क्षयकारी है जबकि उच्च ठलीबल वार्मिंग की हामता से मुक्त है।

HFO (हाइड्रो फ्लौरो ऑलीफिन)

— यह शून्य औजोन क्षयकारी होने के साथ-साथ निम्न ठलीबल वार्मिंग की हामता से मुक्त है।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी


Q: ओजोन परत के अवधार से आप क्या समझते हैं। यह किन कारणों से होता है। (50 words)

Q: मांद्रियल प्रीटीकॉल के प्रमुख प्रावधानों को समझाइये (50 words)

Q: किंगाली समझौते के बारे में संहित टिप्पणी करो (50)

Q: ओजोन द्वारा को नियंत्रित करने के लिये किये जाते रबिद्वीय प्रयासों का संहित वर्णन करो (100)

Q: अमलीय बर्ष क्या है? इसके प्रभावों को समझाइये। (50)




Desertification (मरुस्थलीकरण)

मरुस्थलीकरण

- उपजाऊ भूमि का क्षरण
- मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया है जिसके साथ एक उपजाऊ भूमि अपनी वनस्पतियों तथा जीवों को जीकर ऐगिस्तान में परिवर्तित हो जाती है।
- यह सूखे, बनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन, मानवीय गति विधियों तथा अवैज्ञानिक कृषि के कारण हो सकती है।

मरुस्थलीकरण के कारण




- अत्यधिक पशु चराई।
- बनों की कटाई।
- शहरीकरण तथा अन्य प्रकार की भूमि उपयोग परिवर्तन।
- जलवायु परिवर्तन।
- भूमि के संसाधनों का अत्यधिक दोषन

- प्राकृतिक आपदाएँ।
- अवैज्ञानिक कृषि के तरीके।

मरक्षस्थलीकरण के प्रभाव


- रेगिस्तान छोन्हों में कृषि कार्य सुशीलित या असंभव हो जाते हैं।
- इसके कारण प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं।
- कृषि उत्पादन कम होने के कारण झूलमरी की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। जिसके फलस्वरूप गरीबी बढ़ती है।
- मरक्षस्थलीकरण के कारण झूल जल की शुगवता खराब (कम) हो जाती है।



भारत में समस्थलीकरण

- हाल ही में थनाइट नेशन कन्वेंशन ट्रू काम्पेक्ट डेजर्टी फीकेशन (UNCDD) में प्रस्तुत सरकार के आलड़ों के अनुसार भारत ने एक दशक में 31% घास के मैदानों को छो दिया है। (5.65 मिलियन हेक्टर)


- दूसरी रिपोर्ट के अनुसार भारत की लगभग 32% भूमि का क्षरण हो रहा है।
- 2003-2005 तथा 2011-2013 के बीच भारत के 26 राज्यों में समस्थलीकरण में वृद्धि देखी गई है।
- देश की 80% से अधिक तिम्नीकृत भूमि सिफ 9 राज्यों में है।



भारत में संस्थानिकरण को शोकने के उपाय

प्रयोगित स्तर पर

- जल प्रबंधन पर ध्यान देना।
- वर्षा जल का संचयन किया जाना - यहाँ से जिससे पूरे वर्ष उपयोग में लाभ जा सके।
- वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाये जाने - यहाँ से जिससे मृदा की शुगवता के हित हो तथा इसकी उर्वरता बढ़े।
- तेज आंधियों वाले क्षेत्रों में रेत की लाइनना तथा विन्ड फ्रेम का उपयोग करके मिट्टी को उड़ने से रोकना।
- फसलों के अवशेषों को मल्टिंग के लिए उपयोग में लाना जिससे मिट्टी का अपरदन कम होगा तथा जल धारण क्षमता बढ़ेगी।



पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

भारत में मस्सधलीकरण को शैक्षने के लिए किये गये

उपाय

- कमांड फ्लोट विकास कार्यक्रम 1975 में शुरू किया गया था।
- इसका देश के विभिन्न राज्यों से समन्वय तथा कार्यान्वयन जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
- इसका उद्देश्य जल प्रबंधन के माध्यम से सिंचाई क्षमता में सुधार करना है।
- 1989-90 में, एकीकृत बाटरशीट प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसे बाद में 2003 में हरियाली दिशा निर्देश के रूप में नाम दिया गया था और इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत शामिल किया गया है।
- अमीरा विकास मंत्रालय द्वारा देश भर के सूखे के क्षेत्र प्रभाव वाले क्षेत्रों में आधिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ऐगिस्तान विकास कार्यक्रम 1995 में शुरू किया गया था।



पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

- पर्यावरण, बन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2000 में राष्ट्रीय बनीकरण कार्यक्रम सुरक्षा किया गया था।
- 2001 में पर्यावरण, बन तथा जल परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नैशनल एक्सन प्रोग्राम द्वारा कार्मिकट डेजर्टिफिनेशन लाभ किया गया है।
- भारत के मस्तस्थलीकरण तथा भूगिकारण रद्दलास को ISRO द्वारा 2016 में जारी किया गया था।




विश्व स्तर पर मस्तस्थलीकरण को रोकने के उपाय

- सत्र विकास लक्ष्यों (SDG) 2030 का 11 वाँ लक्ष्य पृथ्वी की उर्वरित के धरण को रोकने से सम्बंधित है तथा सत्र उपयोग एवं खपत में संतुलन बनाने की घोषणा करता है।
- 'बॉन एलेंज' के अनुसार विश्व 350 मिलियन

हेक्टेयर बनोन्मूलन तथा निम्नीकृत भूमि को सन् २०३० तक पुनः उर्वर भूमि में बदलने की उम्मीद है।

- संयुक्त राष्ट्र कन्वेन्शन हूँ कॉम्बिट डेजर्टिफि केशन (UNCDD) १७ जून १९९५ को पेरिस फ्रांस में इस समझौते को स्वीकार किया गया था।
- अब: हर वर्ष १७ जून को मरम्मतीकरण और सूखे से निपटने के लिये विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- UNCCD दिसम्बर १९९६ से प्रभावी हुआ।
- इस समझौते को लौकिक बनाने के लिये २००६ को अंतर्राष्ट्रीय मरम्मत एवं मरम्मतीकरण वर्ष घोषित किया गया।
- वर्ष २०२१ के लिए UNCCD की थीम "वी बिल्ड बैक विद हैल्ड लैंड" है।



UNCCD की COP

- UNCCD की प्रथम पाँच COP का आयोजन 1997 से 2001 तक प्रतिवर्ष किया गया इसके बाद 2 वर्ष के अंतराल में आयोजन किया जाता है।
- UNCCD की COP-14 का आयोजन 2019 में नई दिल्ली में हुआ था।
- COP-14 के लिए थीम "रिस्टोर लैंड स्टेन फ्यूचर"
- UNCCD का संविवालय बोन जर्मनी में है।
- COP-15 2022
 आविद जान (शहर का नाम)
 (आइकरी-डी-कॉस्ट) अनिंग महाद्वीप में
 पाइयमी किनारे पर

Q ① मरुस्थलीकरण क्या हैं ?


Q ② मरुस्थलीकरण को समझाते हुये इसके रोकने के उपायों का वर्णन कीजिये ?



Deforestation (निर्वनीकरण)

- मानवीय गति विधियों के लिए बड़े पैमाने पर वनों की कटाई या अन्य भूमियों से बड़े पैमाने पर ऐडों का हटाना, निर्वनीकरण कहलाता है।
- यह एक ग्रामीण पर्यावरणीय चिन्ह है। क्योंकि इसके परिणामस्वरूप जैव विविधता की हाति, प्राकृतिक आवासों का तुकसान, जलचक्र में गड़बड़ी तथा सूदा का अपरदन होता है।
- वनों की कटाई जलवायु परिवर्तन तथा ग्लोबल वर्मिंग में महत्वपूर्ण योगदान करता है।

वनों का महत्व



- वन व्हीन हाइड्रोजन गैसों (CO_2) को अवशोषित करके कार्बन स्टोर हाइड्रोजन के रूप में कार्य करते हैं जिससे जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में मदद मिलती है।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

- बनों के द्वारा O_2 , ऑजन, ऐवच्छ जल तथा औषधियाँ आदि-प्राप्त होते हैं।
- बन जल-वक्र में महत्वपूर्ण शुभिका निभाते हैं। चैडो द्वारा बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के माध्यम से बायुमण्डल में आर्द्धता को संतुलित रखा जाता है।
- बनों के द्वारा बाढ़ के विनाशकारी प्रभाव को कम किया जाता है तथा ये बाढ़ के पानी के लिए सिंक के रूप में कार्य करते हैं।
- बन हेत्रों में चैडों द्वारा मृदा को यांत्रिक स्थायता की जाती है जिसके कारण मृदा अपरदन कम हो जाता है।
- बन पृष्ठी पर ज्ञात सभी भजानियों के जीवों के 50% से अधिक आग को प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं।
- बनों द्वारा व्यावसायिक रूप से कई महत्वपूर्ण उत्पाद जैसे- लकड़ी, औषधी, मसाले तथा फल और साँब-ही साँब कागज तथा कपड़ा उद्योग के लिये कच्चा माल उपलब्ध करवते हैं।
- लंगबंग 1.6 अरब नौकरियाँ बनों पर निभरते हैं।

बन आवरण हेत्र विश्व में → 31%

भारत में → $\approx 24\%$

शाजस्थान में → 9.55%



निर्वनीकरण के कारण

(1) प्राकृतिक कारण

- उबला मुखी विस्फोट अपने आस पास के वन हेतुओं को जला देते हैं।
- तुफान, बाढ़ तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण वनों का विनाश होता है।
- घेड़ों को नष्ट करने वाले परजीवियों द्वारा वनों का नुकसान किया जाता है।
- प्राकृतिक विजली गिरने या अन्य कारणों से वनों में लगने वाली आग बड़े घैमाने पर नुकसान करती है।
- यह महत्वपूर्ण है कि वनों के विनाश में प्राकृतिक कारणों की मुमिना सीमित होती है।

(2) मानव जनित कारण

कृषि

- कृषि धेनफल बढ़ाने के लिए बड़े घैमाने पर वनों की कटाई की जाती है।



पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

लॉगिंग

- उद्योगों को केव्या माल प्रदान करने के लिए घेड़ों को कहा जाता है।

खनन एवं नगरीय विस्तार

- अवसंरचना नियमि के लिये बड़े पैमाने पर बन होतों को साफ़ किया जाता है।
- UNFCCC के स्विवालय के अनुसार कृषि के लिये 90%, लॉगिंग के लिये 14%, तथा नमकी को इधन के रूप में उपयोग के लिये 5% इत्यादि कारणों से कठोरी की जाती है।

निर्वनीकरण के दुष्प्रभाव


- पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO_2 को अवशोषित किया जाता है।
अतः बन कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं।
- चूंकि CO_2 एक ग्रीन हाइड्रोजन गैस है इसलिये उल्लंघन वर्मिंग तथा जलवायु परिवर्तन के



पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी


दुष्प्रभाव बढ़ जायेगे।

- ऐड जलधारा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इसलिये वनों की कटाई इस पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।
- पादप वाष्पीत्सजन की क्रिया के माध्यम से वायुमोड़ल में आवृत्ति को नियंत्रित करते हैं।
- मृत पौधों की सामग्री (पत्तियाँ, टक्कियाँ आदि) मिट्टी की उर्वरिता बढ़ाते हैं जिसके कारण भूमि की जलधारण क्षमता बढ़ती है। अतः ऐडों की कटाई से भूमि की उर्वरिता कम हो जाती है।
- वनों की कटाई वाले होतों में शुल्क जलवायु का अनुश्रव करना सामान्य घटना हो जाती है।
- वनों की कटाई के कारण मरुस्थलीकरण तथा शूखे का प्रभाव बढ़ता है जिससे मृदा अपरदन में तेजी आती है।
- ढलान वाली भूमि होतों में वनों की कटाई से मरुस्थलन की घटनाएं बढ़ जाती हैं।



पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

- बनों के काटने से प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप अत्यधिक बढ़ जाता है।
- बनों के काटने से जीवों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं। जिससे जैव विविधता को गंभीर खतरा उत्पन्न होता है।
- उल्लंग करिंघीय वर्षा बनों के लगातार विनाश होने के कारण इनसे प्राप्त होने वाले संसाधन भविष्य की दीड़ियों को नहीं प्राप्त हो पायेगे।
- बनों की अत्यधिक कटाई अल्पकालिक लाभ तो देती है लेकिन दीर्घ कालिक उत्पादकता को कम कर देती है।
- इसलिए बनों संसाधनों का उपयोग सतत् विकास के दृष्टिकोण से किया जाना चाहिये जिससे अर्थव्यवस्था में तुगमी लाभ प्राप्त होगे।




निर्वनीकरण के उपाय / नियंत्रित

① सरकारों के स्तर पर

— बनों की कटाई से निपटने के लिये सरकारों द्वारा निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं।

- ० अवैध कटाई को शोकने के लिये सुरक्षा उपाय तथा कानून का सफर्ती से क्रियान्वयन।
- ° सरकार द्वारा संरक्षित होनों की सीमा तथा संख्या लगाया जाना।
- ° सरकार की विकास परियोजनाओं जैसे - राजमार्गों वाँध तथा अन्य अवसंरचना निर्माण की बनों के अनुकूल क्रियान्वयन करना।
- ° कृषि उद्योग (जैसे - Hydroponics) जैसी नई तकनीकों में निवेश करना तथा किसानों की पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धतियाँ अपनानी के लिये प्रोत्साहित करना।




पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

- अवैज्ञानिक कृषि पढ़तियों द्वासे—स्थानान्तरी कृषि पर प्रतिक्रिया लगाकर बनों का प्रबंधन करना।
- लकड़ी की माँग को कम करने के लिये इसके विकल्पों के उत्पादन तथा उपयोग को सुगम बनाना। उदाहरण के लिये बांस की लकड़ी को ईंधन के विकल्प के रूप में जाम में लिया जा सकता है।
- बनों की कटाई वाली भूमि पर पुनः बनीकरण कार्यक्रम फैलाकर उन्हें वापस बहाल करना।

(B) व्यक्तियों की भूमिका

- एक व्यक्ति अपने जीवन में RRR (Reduce, Reuse and Recycle) सिंहासन को लागू करके बनों की कटाई में शोक्याम के लिये योगदान दे सकता है।

- व्यक्ति अपने आस-पास निर्वन्धीकरण के नकारात्मक प्रभावों के क्षेत्र में जागरूकता फैलाकर तथा वृक्षारोपण अभियानों में भाग



लेकर निवनीकरण को कम करके धौगदान दे सकता है।

③ अंतर्राष्ट्रीय प्रयास

- UNREDD कार्यक्रम




(The United Nation Programme on Reducing Emission from Deforestation and forest degradation)

- यह संयुक्त राष्ट्र का सहयोगात्मक कार्यक्रम है जिसके तहत विकासशील देशों में निवनीकरण तथा बन निभीकरण में कमी करके उत्सर्जन को नियंत्रित किया जा सके।
- इसका मुख्यालय - जैनीवा (स्वीटजरलैंड)
- यह बाली एक्शन प्लान के UNFCCC के फैसले की अनुपालन में आरंभ किया गया था। तथा इसने 2008 से कार्य करना आरंभ किया।


पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

- इस कार्यक्रम को खाद्य एवं कृषि संगठन [FAO] संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) तथा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के सहयोग तथा तकनीकी विशेषज्ञता के आधार पर बनाया गया है।
- विकासशील देशों में REDD+ को लागू करने के लिये आवश्यक तकनीकी क्षमताओं की स्थापना में सहयोग करते हैं तथा REDD+ परिणाम आधारित भुगतान के लिये UNFCCC की आवश्यकताओं को भी पूरा करने में सहयोग करते हैं।



REDD+

- यह एक प्रक्रिया है जिसे UNFCCC द्वारा विकसित किया गया है।
- इसका उद्देश्य विकासशील देशों में निवन्नीकरण तथा बन निष्ठीकरण में कमी करके बन संरक्षण, बनों का सतत प्रबंधन तथा बनों के कार्बन रिंक में वृद्धि करना है।
- यह कार्यक्रम बनों में संग्रहित कार्बन के लिये वित्तीय सूच्य प्रदान करता है।
- यह कार्यक्रम विकासशील देशों को बन भूमि के माध्यम से अवशोषण बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन की पेशकेश की जाती है तथा कम कार्बन उत्पादन करने वाली तकनीक में निवेश के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा दिया जाता है।
- इसके अंतर्गत विकासशील देशों को परिणाम आधारित कार्यवाही (बनों का विकास) के लिये परिणाम आधारित भुगतान प्राप्त होता है।



पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

Q: निर्वनीकरण क्या है ? (2)

Q: UN REDD कार्यक्रम पर सहित टिप्पणी कीजिये ? (5)

Q: निर्वनीकरण को शोकने के लिये विभिन्न स्तरों पर किये गये कार्यों की विवेचना कीजिये ? (10)

